"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2007—कार्तिक 4, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27-09-2007 द्वारा श्री अवध बिहारी, भा. प्र. से. को आयुक्त-सह-संचालक, कृषि एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग तथा गन्ना आयुक्त एवं संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें पदस्थ किया गया था, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अवध बिहारी, भा. प्र. से. (1991) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, पदस्थ किया जाता है तथा इन्हें साथ ही गन्ना आयुक्त एवं संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-01-01/2007/एक/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से. (1988), श्रम आयुक्त एवं पदेन सचिव, श्रम विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, सी. आई. डी. सी. का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री बी. एल. अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. के. बेहार भा. प्र. से. (1992), प्रबंध संचालक, सी. आई. डी. सी. के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7/4/2003/1/2.—श्री एस. के. तिवारी, भा. प्र. से., पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ. ग., रायपुर को दिनांक 03-10-2007 से 16-10-2007 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 2-10-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी आगामी आदेश तक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छ. ग., रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री तिवारी के उक्त अर्जित अवकाश अवधि में श्री पी. आर. नायक, अपर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ.ग., रायपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ. ग., रायपर का कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7/8/2006/1/2.—श्री अविनाश चम्पावत, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को दिनांक 19-10-2007 से 02-11-2007 तक (15 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चम्पावत आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री चम्पावत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चम्पावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7/47/2004/1/2.—डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा. प्र. से., मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर को दिनांक 22-10-2007 से 31-10-2007 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19, 20 एवं 21 अक्टूबर, 2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. द्विवेदी आगामी आदेश तक मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में डॉ. द्विवेदी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. द्विवेदी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2007

फा. क्र. 8688/3171/1141/21-ब/छ. ग./2007.—इस विभाग द्वारा जारी आदेश फा. क्र. 3171/1141/21-ब/छ. ग./2007, दिनांक 5-4-2007 में टंकण त्रुटि के कारण निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

"उक्त आदेश की पंक्ति आठ में नोटरी अधिनियम की धारा 5 (16) को विलोपित किया जाता है उसके स्थान पर नोटरी अधिनियम की धारा 05 सह-पठित धारा 10 पढ़ा जाये."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2007

क्रमांक/एफ -1/10/भापुसे/2004.—श्री अविनाश मोहंती, भापुसे, सहायक पुलिस अधीक्षक, धमतरी को स्वयं के विवाह हेतु दिनांक 19-11-2007 से दिनांक 21-12-2007 तक (कुल 33 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं साथ ही दिनांक 17 एवं 18 नवंबर 2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री अविनाश मोहंती, भापुसे, सहायक पुलिस अधीक्षक, धमतरी को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री मोहंती आगामी आदेश तक सहायक पुलिस अधीक्षक, धमतरी के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहंती अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

कृषि (मछली पालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

क्रमांक/एफ 7-6/36/अन्य/पुरस्कार/2007-08.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्योत्सव वर्ष 2007 में श्रीमति बिलासा बाई केंवटीन मत्स्य पुरस्कार के नियम 5 के प्रावधान अनुसार राज्य के सर्वोत्कृष्ट कृषक का चयन करने हेतु राज्य स्तरीय जूरी में निम्न अशासकीय सदस्यों का नामांकन किया जाता है.

1. प्रगतिशील कृषक जिसे मछलीपालन का अनुभव हो. — श्री सुरेन्द्र कुमार बेलचंदन, ग्राम व पोस्ट तिरगा, दुर्ग.
2. समाजसेवी जिसे मछलीपालन क्षेत्र का ज्ञान हो. — श्री विष्णु हिरवानी, ग्राम व पोस्ट धमतरी, जिला-धमतरी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ 8-10/2007/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमि. रायपुर के बायलर क्रमांक-सी. जी./36 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 27-09-2007 से 26-12-2007 तक की छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक/1830/2013/32/2007.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बड़े बचेली-किरंदुल, निवेश क्षेत्र का गठन करती हैं, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चिय की गई हैं :—

अनुसूची

बड़े बचेली-किरंदुल, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बड़े बचेली एवं आरक्षित वन की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम किरंदुल, कड़मपाल, पीना बचेली एवं बड़े बचेली की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : आरक्षित वन, किरंदुल की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : आरक्षित वन की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

क्रमांक/1853/970/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2062/270/32/2006 रायपुर दिनांक 18-10-2006 द्वारा गठित पुरा निवेश क्षेत्र तथा अधिसूचना क्र. 321/970/32/2006 दिनांक 19 फरवरी, 2007 द्वारा पुनर्गठित विशेष क्षेत्र में ग्राम पिपरहट्ठा को सम्मिलित करती हैं. पुनर्गठित पुरा विशेष क्षेत्र की सीमा नीचे अनुसूची-एक में दिए गए अनुसार होगी.

अनुसूची-एक

पुनर्गठित पुरा विशेष क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : तहसील आरंग के ग्राम नरदहा, पचेड़ा, चन्द्रखुरी, नगपुरा, संकरी एवं पिपरहट्ठा, की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : तहसील आरंग के ग्राम संकरी, बड़गांव, तोड़गांव, पिपरहट्ठा, गोढ़ी एवं खुटेरी की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : तहसील आरंग के ग्राम संकरी, पिपरहट्ठा, गोढ़ी, खुटेरी, बकतरा, नकटा, कुरूद, धनसुली एवं नरदहा की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : तहसील आरंग के ग्राम खुटेरी, नकटा, कुरूद, धनसुली, नरदहा एवं संकरी की पश्चिमी सीमा तक.

Raipur, the 1st October 2007

No. 1853/970/32/2006.—In exercise of the powers conferred by clause (a) Sub-section (3) of Section 64 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government hereby includes village Piparhatta in Pura Special Area Constituted vide Notification No. 2062/970/32/2006 Raipur dated 18-10-2006 and reconstituted vide No. 321/970/32/2006 Raipur dated 19 February. The limit of reconstituted Pura Special Area shall be given in Schedule-1 below.

SCHEDULE-1

Limit of reconstituted Pura Special Area

North : Northern limit of Village Nardaha, Pacheda, Chandkhuri, Nagpura, Sankri and Piparhatta of Tehsil Arang.

East : Eastern limit of Village Sankri, Badgaon, Todgaon, Piparhatta, Godhi and Khuteri of Tehsil Arang.

South : Southern, limit of Village Sankri, Piparhatta, Godhi, Khuteri, Bakatara, Nakta. Kurud. Dhansuli and Nardaha of Tehsil Arang.

West : Western limit of Village Khuteri, Nakta, Kurud, Dhansuli, Nardaha and Sankri of Tehsil Arang.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ 4-2/30/1/सं./2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित साहित्यकारों/कलाकारों को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई अवधि तथा दर से प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

जिला	क्र.	नाम व पता	दिनांक 01 अप्रैल 2007 से 31 जुलाई 2007 तक (4 माह के लिए) प्रतिमाह	दिनांक 01 अगस्त 2007 से 31 मार्च से प्रतिमाह	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	01	श्री श्याम सुन्दर साहू ग्राम/पोस्ट-टेडेसरा, राजनांदगांव.	700/-	1500/-	1 अप्रैल, 2007 से नियमानुसार पेंशन देय होगा.
	02	श्री गुहाराम निर्मलकर ग्राम-छोटे टेमरी, थाना/पो. घुमका तह. राजनांदगांव.	700/-	1500/-	1 अप्रैल, 2007 से आजीवन पेंशन देय होगा.
	03	श्री गोविन्द राम निर्मलकर ग्राम-मोहरा, जिला राजनांदगांव.	700/-	1500/-	1 अप्रैल, 2007 से आजीवन पेंशन देय होगा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	01	श्री बलीराम चन्देल ग्राम-कातुलबोर्ड, वार्ड नं. 57 जिला दुर्ग.	700/-	1500/-	1 अप्रैल, 2007 से आजीवन पेंशन देय होगा.
	02	श्री पंचराम देशलहरे ग्राम कातुलबोर्ड, वार्ड नं. 57 जिला दुर्ग.	700/-	1500/-	1 अप्रैल, 2007 से नियमानुसार पेंशन देय होगा.

उक्त आर्थिक सहायता पर होने वाला व्यय मांग संख्या 26 मुख्य लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा 05 भाषा विकास 102 आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन 285 अर्थाभावग्रस्त ख्याति प्राप्त साहित्यकारों/कलाकारों को वित्तीय सहायता 14 सहायक अनुदान 011 वैयक्तिक अनुदान आयोजनेत्तर मद वर्ष 2007-08 के बजट से विकलनीय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तपेश चंद गुप्ता, उप-सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2007

क्रमांक 7797/एफ 1-9/06/19/स्था-3.—राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नये संभाग एवं उपसंभागों की नवीन संरचना वर्ष 2007 की सीमायें निर्धारित करता है. जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नं. (1) में परिक्षेत्र, कालम-2 में मण्डल कार्यालय, कालम -3 के अंतर्गत संभागीय कार्यालय, कालम-4 के अंतर्गत उपसंभागीय कार्यालय एवं कालम-5 के अंतर्गत उपसंभाग का कार्यक्षेत्र उल्लेखित किये गये हैं.

परिक्षेत्र का नाम (1)	मंडल का नाम (2)	संभाग का नाम (3)	उपसंभाग का नाम (4)	उपसंभाग का कार्यक्षेत्र (5)
रायपुर परिक्षेत्र (नवीन)	रायपुर मंडल क्र. 1.	1. रायपुर संभाग क्र. 1.	1. रायपुर उपसंभाग क्र. 1.	1. रायपुर स्थित मुख्यालय उपखण्ड क्र. 1 के अंतर्गत भवनों का निर्माण एवं संधारण कार्य, सिविल लाईन क्षेत्र व्ही. आई. पी. आवास गृह एवं विभिन्न कर्मचारियों के आवास. 2. उपखण्ड क्र. 5 के भवन एवं सड़क कार्यों का निर्माण एवं संधारण. 3. मंत्रालय उपखण्ड मंत्रालय स्थित भवनों का संधारण.
			2. सर्वे उपसंभाग रायपुर (मंदिर-हसौद उपसंभाग)	1. वी. आई. पी. गेस्ट हाउस, जोरा धनेली सेक्शन, मंदिर हसौद सेक्सन एवं चंदखुरी सेक्सन के भवन एवं सड़कों का निर्माण एवं संधारण कार्य.
			3. छत्तीसगढ़ भवन उपसंभाग, दिल्ली (नवीन)	छ. ग. सदन एवं ट्रांजिस्ट हॉस्टल दिल्ली, भवन का निर्माण एवं छ. ग. भवन का संधारण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4. मेन्टेनेन्स उप-संभाग, रायपुर (नवीन)	1. उपखण्ड क्र. 3 पेंशनबाड़ा स्थित विभिन्न आवासीय, गैर आवासीय भवनों का निर्माण एवं संधारण. 2. पुलिस लाईन उपखण्ड पुलिस लाईन एवं कालीबाड़ी स्थित विभिन्न आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण एवं संधारण. 3. एन. एच.-6 एवं रिंग रोड क्र. 2 के बीच स्थित भवनों का संधारण.
		2. रायपुर संभाग क्र. 2 (नवीन)	1. रायपुर उपसंभाग क्र. 4, (आरंग).	1. आरंग एवं अभनपुर के अंतर्गत भवन, सड़क कार्यों का निर्माण एवं संधारण. 2. खरोरा सेक्सन के आर. पी. वी. मार्ग कि.मी. 40 से 55 तक एवं अन्य लिंक रोड का निर्माण एवं संधारण. 3. रानीसागर खरोरा आरंग मार्ग.
			2. निर्माण उपसंभाग क्र. 2, रायपुर.	1. जेल उपखण्ड 2. जिला एवं सत्र न्यायालय तथा जिलाधीश प्रांगण के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण एवं संधारण. 3. मेकाहारा उपखण्ड के सभी कार्य. 4. नये जिला अस्पताल एवं उपभोक्ता फोरम एवं खेल अकादमी तथा राजभवन से संबंधित भवनों का निर्माण एवं संधारण.
			3. इंजीनियरिंग कालेज उपसंभाग, रायपुर (नवीन)	1. नये इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार एवं संस्कृत विद्यालय एवं विश्वविद्यालय क्षेत्र के भवन कार्यों का निर्माण एवं संधारण कार्य. 2. रायपुर पलारी बलौदाबाजार मार्ग कि.मी. 1/10 से 39/10, टिकरापारा सेजबहार मार्ग कि.मी. 1 से 12 तक के मार्ग का निर्माण एवं संधारण कार्य.
			4. सेंट्रल स्टोर उप-संभाग, रायपुर (नवीन)	1. सेन्ट्रल स्टोर, छ. ग. शा., लो. नि. वि. 2. वित्त विभाग के कम्पोजिट भवन एवं लेप्रोसी भवन. 3. स्टेडियम निर्माण 4. ट्रेफिक गार्डन एवं ड्रायविंग स्कूल निर्माण तथा विजेता काम्पलेक्स भवन कार्यों का निर्माण एवं संधारण. 5. माना क्षेत्र के भवन एवं सड़क कार्यों का निर्माण.
		3. रायपुर संभाग क्र. 3.	1. उपसंभाग क्र. 3, रायपुर.	209 जी. ए. डी. के निर्माणाधीन क्वार्टर, कुशाभाउ ठाकरे यूनिवर्सिटी प्रिंटिंग प्रेस भवनों का निर्माण एवं संधारण कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. निर्माण उपसंभाग क्र. 1, रायपुर.	1. देवेन्द्र नगर कॉलोनी के भवन निर्माण कार्य एवं संधारण कार्य. 2. रोजगार कार्यालय भवन का निर्माण कार्य. 3. गंज थाना के अंतर्गत आवासगृहों का निर्माण एवं रखरखाव कार्य. 4. एस. आर. पी. थाना महोदापारा थाना का रखरखाव कार्य. 5. पुलिस अस्पताल निर्माण कार्य.
			3. अभनपुर उप-संभाग (नवीन)	3. अभनपुर विकासखण्ड
		4. विधान सभा संभाग, रायपुर.	1. विधान सभा उपसंभाग, रायपुर.	विधान सभा परिसर
			2. उपसंभाग क्र. 2, रायपुर.	धरसींवा विकासखण्ड
			3. तिल्दा उपसंभाग (नवीन)	तिल्दा विकासखण्ड

रायपुर मण्डल क्र. 1 में संभाग-4, उपसंभाग-14

परिक्षेत्र (नवीन)	रायपुर मंडल क्र. 2 (नवीन)	1. बलौदाबाजार संभाग.	1. बलौदाबाजार उप-संभाग.	बलौदाबाजार, पलारी विकासखण्ड
			2. भाटापारा उपसंभाग	भाटापारा, सिमगा विकासखण्ड
			3. कसडोल उपसंभाग (नवीन)	कसडोल विकासखण्ड
			4. बिलाईगढ़ उप-संभाग.	बिलाईगढ़ विकासखण्ड
		2. महासमुंद संभाग.	1. महासमुंद उप-संभाग क्र. 1.	महासमुंद (पश्चिम) विकासखण्ड
			2. महासमुंद उप-संभाग क्र. 2, (नवीन)	बागबाहरा, महासमुंद (पूर्व) विकासखण्ड
			3. पिथौरा उपसंभाग	पिथौरा विकासखंड
			4. सराईपाली उप-संभाग.	सरायपाली एवं बसना आंशिक विकासखण्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. धमतरी संभाग	1. धमतरी उपसंभाग	धमतरी विकासखंड
			2. कुरूद उपसंभाग (नवीन)	कुरूद, मगरलोड विकासखण्ड
			3. नगरी उपसंभाग	नगरी विकासखण्ड
		4. गरियाबंद संभाग (नवीन)	1. गरियाबंद उपसंभाग क्रमांक-1.	गरियाबंद विकासखण्ड
			2. गरियाबंद उपसंभाग क्र. 2 (नवीन)	मैनपुर, देवभोग विकासखण्ड
			3. राजिम उपसंभाग	राजिम, छुरा विकासखंड
		रायपुर मण्डल क्र. 2 में संभाग-4, उपसंभाग-14		
रायपुर परिक्षेत्र (नवीन)	दुर्ग मंडल	1. दुर्ग संभाग	1. दुर्ग उपसंभाग क्र. 1.	दुर्ग विकासखण्ड
			2. दुर्ग उपसंभाग क्र. 2.	धमधा-(पश्चिम) दुर्ग
			3. दुर्ग उपसंभाग क्र. 3 (नवीन)	धमधा-(पूर्व) दुर्ग
			4. पाटन उपसंभाग	पाटन विकासखण्ड
		2. बालोद संभाग	1. बालोद उपसंभाग क्र. 1.	बालोद, डौंडीलोहारा विकासखण्ड
			2. बालोद उपसंभाग क्र. 2.	डौंडीलोहारा (आंशिक), डौंडी (आंशिक)
			3. गुण्डरदेही उप-संभाग.	गुण्डरदेही विकासखण्ड गुरूर (आंशिक)
		3. बेमेतरा संभाग	1. बेमेतरा उपसंभाग	बेमेतरा, बेरला (पूर्व) विकासखण्ड
			2. साजा उपसंभाग	साजा, बेरला (पश्चिम) विकासखण्ड
			3. नवागढ़ उपसंभाग (नवीन)	नवागढ़ विकासखण्ड.
		4. राजनांदगांव संभाग	1. राजनांदगांव उप-संभाग क्र. 1.	राजनांदगांव विकासखण्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. राजनांदगांव उप-संभाग क्र. 2.	डोंगरगांव, छुरिया विकासखण्ड
			3. चौकी उपसंभाग	चौकी, मोहला, मानपुर विकासखण्ड
		5. खैरागढ़ संभाग	1. खैरागढ़ उपसंभाग	खैरागढ़ विकासखण्ड
			2. डोंगरगढ़ उपसंभाग	डोंगरगढ़ विकासखण्ड
			3. छुईखदान उपसंभाग (नवीन)	छुईखदान विकासखण्ड
		6. कवर्धा संभाग	1. कवर्धा उपसंभाग	कवर्धा, सहसपुर विकासखण्ड
			2. पण्डरिया उपसंभाग	पण्डरिया विकासखण्ड
			3. बोड़ला उपसंभाग (नवीन).	बोड़ला विकासखण्ड

दुर्ग मण्डल के संभाग-6, उपसंभाग-19

रायपुर परिक्षेत्र :- मण्डल-3 (नवीन-1) संभाग-14 (नवीन-2) उपसंभाग-47 (नवीन-13), (पुराना-34)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर.	बस्तर मंडल जगदलपुर.	1. उत्तर बस्तर संभाग क्र. 1, जगदलपुर.	1. जगदलपुर उपसंभाग क्र. 1.	जगदलपुर (उत्तर) भवन कार्य जगदलपुर
			2. जगदलपुर उपसंभाग क्र. 2.	जगदलपुर (पश्चिम) भवन कार्य जगदलपुर
			3. जगदलपुर उपसंभाग क्र. 3.	तोकापाल, बकावंड विकासखण्ड
		2. उत्तर बस्तर संभाग क्र. 2, जगदलपुर (नवीन)	1. दरभा उपसंभाग (नवीन)	बास्तानार, दरभा विकासखण्ड
			2. बस्तर उपसंभाग (नवीन)	बस्तर विकासखण्ड
			3. चित्रकूट उपसंभाग लोहांडीगुड़ा (नवीन).	लोहण्डीगुड़ा विकासखण्ड
		3. सुकमा संभाग (नवीन)	1. दोरनापाल उपसंभाग	कोन्टा (उत्तर)
			2. कोन्टा उपसंभाग	कोन्टा (दक्षिण)
			3. सुकमा उपसंभाग सुकमा.	सुकमा, छिंदगढ़ विकासखण्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4. दन्तेवाड़ा संभाग दन्तेवाड़ा.	1. दन्तेवाड़ा उपसंभाग	दन्तेवाड़ा विकासखण्ड
			2. गीदम उपसंभाग	गीदम विकासखण्ड
			3. उपसंभाग बचेली (नवीन).	कुआकोंडा, कटेकल्याण विकासखण्ड
		5. बीजापुर संभाग	1. बीजापुर उपसंभाग क्र. 1.	भैरमगढ़, बीजापुर विकासखण्ड
			2. बीजापुर उपसंभाग क्र. 2.	उसूर विकासखण्ड
			3. मुददेड़ उपसंभाग	भोपालपटनम विकासखण्ड
		जगदलपुर मण्डल में संभाग -5, उपसंभाग-15		
बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर.	कांकेर मंडल कांकेर (नवीन)	1. कांकेर संभाग कांकेर.	1. कांकेर उपसंभाग	कांकेर विकासखण्ड
			2. नरहरपुर उपसंभाग (नवीन)	नरहरपुर विकासखण्ड
			3. चारामा उपसंभाग (नवीन)	चारामा विकासखण्ड
		2. कोण्डागांव संभाग, कोण्डागांव.	1. कोण्डागांव उपसंभाग क्र. 1.	कोण्डागांव विकासखण्ड
			2. कोण्डागांव उपसंभाग क्र. 2 (नवीन)	फरसगांव, माकड़ी विकासखण्ड
			3. केशकाल उपसंभाग	बड़ेराजपुर, केशकाल विकासखण्ड
		3. भानुप्रतापपुर संभाग, भानुप्रतापपुर (नवीन)	1. भानुप्रतापपुर उपसंभाग	भानुप्रतापपुर, दुर्ग कोन्दल
			2. पखांजूर उपसंभाग	कोयलीबेड़ा विकासखण्ड
			3. अन्तागढ़ उपसंभाग (नवीन).	अंतागढ़ विकासखण्ड
		4. नारायणपुर संभाग, नारायणपुर (नवीन)	1. नारायणपुर उपसंभाग क्र. 1.	नारायणपुर विकासखण्ड
			2. नारायणपुर उपसंभाग क्र. 2 (नवीन).	अंतागढ़ विकासखण्ड
		कांकेर मण्डल में संभाग-4, उपसंभाग -11		

बस्तर परिक्षेत्र :- मण्डल-2 (नवीन-1) संभाग -9 (नवीन 4), उपसंभाग-26 (नवीन-9) (पुराना-17)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर परिक्षेत्र बिलासपुर.	बिलासपुर मंडल बिलासपुर.	1. बिलासपुर संभाग क्र. 1, बिलासपुर.	1. बिलासपुर उपसंभाग क्रमांक-1.	बिल्हा (आंशिक), मस्तुरी (आंशिक)
			2. बिलासपुर उपसंभाग क्रमांक-2.	बिल्हा (आंशिक), मस्तुरी (आंशिक)
			3. हाईकोर्ट उपसंभाग क्रमांक-1.	बिल्हा (आंशिक)
			4. हाईकोर्ट उपसंभाग क्रमांक-2 (नवीन).	बिल्हा (आंशिक)
		2. बिलासपुर संभाग क्र. 2, बिलासपुर (नवीन)	1. मुंगेली उपसंभाग	मुंगेली
			2. लोरमी उपसंभाग (नवीन)	लोरमी (आंशिक), तखतपुर (आंशिक)
			3. बिलासपुर उपसंभाग क्रमांक-3 (नवीन)	पथरिया, तखतपुर (आंशिक)
			4. कोनी उपसंभाग	बिल्हा (आंशिक), कोटा (आंशिक), तखतपुर (आंशिक)
		3. पेण्ड्रा संभाग	1. पेण्ड्रा उपसंभाग	गौरेला (सीडी), गौरेला (टीडी), कोटा (आंशिक)
			2. मरवाही उपसंभाग	मरवाही विकासखण्ड
			3. कोटा उपसंभाग	कोटा, तखतपुर (आंशिक)
		4. चांपा संभाग	1. चांपा उपसंभाग	बम्हनीडीह, जैजैपुर (आंशिक)
			2. जांजगीर उपसंभाग	नवागढ़ (आंशिक), अकलतरा (आंशिक), बलौदा.
			3. सक्ती उपसंभाग	सक्ती, मालखरौदा, जैजैपुर (आंशिक), डभरा
			4. पामगढ़ उपसंभाग (नवीन)	पामगढ़, अकलतरा (आंशिक), नवागढ़ (आंशिक)
		5. कोरबा संभाग	1. उपसंभाग क्र. 1, कटघोरा.	कटघोरा, पाली
			2. उपसंभाग क्र. 2, कटघोरा.	पोड़ी, उपरोड़ा, कटघोरा (आंशिक)
			3. भेसमा उपसंभाग	कोरबा विकासखण्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4. कोरबा उपसंभाग	करतला विकासखण्ड
		6. रायगढ़ संभाग	1. रायगढ़ उपसंभाग	रायगढ़, पुसौर, घरघोड़ा, तमनार
			2. सारंगढ़ उपसंभाग	सारंगढ़, बरमकेला
			3. खरसिया उपसंभाग	खरसिया, धरमजयगढ़ (आंशिक)
			4. धरमजयगढ़ उपसंभाग	धरमजयगढ़, लैलूंगा

बिलासपुर मण्डल में संभाग-6, उपसंभाग-23

बिलासपुर परिक्षेत्र बिलासपुर.	अंबिकापुर मंडल	1. अंबिकापुर संभाग.	1. अंबिकापुर उपसंभाग क्र. 1.	अम्बिकापुर, लखनपुर
			2. अंबिकापुर उपसंभाग क्र. 2 (नवीन)	राजपुर, प्रतापपुर, लुण्ड्रा (आंशिक)
			3. सीतापुर उपसंभाग	सीतापुर, बतौली, मैनपाट, लुण्ड्रा (आंशिक)
		2. रामानुजगंज संभाग.	1. रामानुजगंज उपसंभाग	रामानुजगंज, बलरामपुर विकासखण्ड
			2. कुसमी उपसंभाग	कुसमी, शंकरगढ़ विकासखण्ड
			3. वाड्रफनगर उपसंभाग (नवीन)	वाड्रफनगर (आंशिक), प्रतापपुर
		3. सूरजपुर संभाग (नवीन)	1. सूरजपुर उपसंभाग (नवीन)	सूरजपुर, ओड़गी विकासखण्ड
			2. प्रेमनगर उपसंभाग (नवीन)	प्रेमनगर, सूरजपुर (आंशिक)
		4. मनेन्द्रगढ़ संभाग कोरियां.	1. बैकुण्ठपुर उपसंभाग	बैकुन्ठपुर, सोनहत, खड़गवां (आंशिक)
			2. मनेन्द्रगढ़ उपसंभाग	मनेन्द्रगढ़, खड़गवां विकासखण्ड
			3. जनकपुर उपसंभाग	भरतपुर विकासखण्ड
		5. जशपुर संभाग	1. जशपुर उपसंभाग क्र. 1.	जशपुर, दुलदुला (आंशिक), फरसाबहार (आंशिक)
			2. जशपुर उपसंभाग क्र. 2 (नवीन)	मनोरा विकासखण्ड
			3. कुनकुरी उपसंभाग	कुनकुरी, दुलदुला (आंशिक)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		6. पत्थलगांव संभाग (नवीन)	1. पत्थलगांव उपसंभाग क्र. 1.	पत्थलगांव, फरसाबहार (आंशिक)
			2. पत्थलगांव उपसंभाग क्र. 2 (नवीन)	कांसाबेल विकासखण्ड
			3. बगीचा उपसंभाग (नवीन)	बगीचा विकासखण्ड

अम्बिकापुर मण्डल में संभाग-6, उपसंभाग-17

बिलासपुर परिक्षेत्र :- मण्डल-2, संभाग - 12 (नवीन-3), उपसंभाग-40 (नवीन-11) (पुराना-29)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सेतु निर्माण परिक्षेत्र रायपुर.	सेतु निर्माण मंडल रायपुर.	1. सेतु निर्माण संभाग रायपुर.	1. सेतु निर्माण उपसंभाग क्र. 1, रायपुर.	जिला रायपुर दक्षिण क्षेत्र
			2. सेतु निर्माण उपसंभाग क्र. 2, रायपुर (नवीन)	जिला रायपुर उत्तर क्षेत्र
			3. सेतु निर्माण उपसंभाग धमतरी (नवीन)	धमतरी जिला
			4. सेतु निर्माण उपसंभाग महासमुंद (नवीन)	महासमुंद जिला
		2. सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (नवीन)	1. सेतु निर्माण उपसंभाग राजनांदगांव (नवीन)	राजनांदगांव जिला
			2. सेतु निर्माण उपसंभाग कवर्धा (नवीन)	कवर्धा जिला
			3. सेतु निर्माण उपसंभाग दुर्ग.	दुर्ग जिला
		3. सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	1. सेतु निर्माण उपसंभाग जगदलपुर.	जगदलपुर जिला
			2. सेतु निर्माण उपसंभाग कांकेर.	कांकेर जिला
			3. सेतु निर्माण उपसंभाग नारायणपुर (नवीन)	नारायणपुर जिला
			4. सेतु निर्माण उपसंभाग बीजापुर (नवीन)	बीजापुर जिला
			5. सेतु निर्माण उपसंभाग दन्तेवाड़ा (नवीन)	दन्तेवाड़ा जिला

सेतु मण्डल रायपुर में सेतु संभाग-3, उपसंभाग 12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सेतु निर्माण परिक्षेत्र रायपुर.	सेतु निर्माण मंडल रायगढ़.	4. सेतु निर्माण संभाग बिलासपुर.	1. सेतु निर्माण उपसंभाग क्र. 1, बिलासपुर.	कोटा, सीपत, बिलासपुर, मस्तूरी, गौरेला-1 विकासखण्ड.
			2. सेतु निर्माण उपसंभाग क्र. 2, बिलासपुर (नवीन)	मरवाही, गौरेला-2, तखतपुर, मुंगेली, लोरमी विकासखण्ड.
			3. सेतु निर्माण उपसंभाग जांजगीर (नवीन)	जांजगीर जिला
			4. सेतु निर्माण उपसंभाग कोरबा (नवीन)	कोरबा जिला
		5. सेतु निर्माण संभाग रायगढ़ (नवीन)	1. सेतु उपसंभाग क्र. 1, रायगढ़.	
			2. सेतु उपसंभाग क्र. 2, रायगढ़ (नवीन)	
			3. सेतु निर्माण उपसंभाग पत्थलगांव (नवीन)	पत्थलगांव, बगीचा, कासाबोल, फरसाबहार विकासखण्ड.
			4. सेतु निर्माण उपसंभाग जशपुर (नवीन)	जशपुर, मनोरा, कुनकुरी, दुलदुला

सेतु मण्डल रायगढ़ में सेतु संभाग-2, उपसंभाग 8

	सेतु निर्माण मंडल अंबिकापुर (नवीन)	1. सेतु निर्माण संभाग अंबिकापुर.	1. सेतु निर्माण उपसंभाग अंबिकापुर.	लो. नि. वि., अम्बिकापुर संभाग (भ/स) का कार्यक्षेत्र.
			2. सेतु निर्माण उपसंभाग रामानुजगंज (नवीन)	लो. नि. वि. भ/स रामानुजगंज का कार्यक्षेत्र
			3. सेतु निर्माण उपसंभाग सूरजपुर (नवीन)	लो. नि. वि. भ/स सूरजपुर नवीन का कार्यक्षेत्र.
			4. सेतु निर्माण उपसंभाग मनेन्द्रगढ़ (नवीन)	कोरिया जिला

सेतु मण्डल अम्बिकापुर में सेतु संभाग-1, उपसंभाग 4 (नवीन-3)

सेतु परिक्षेत्र रायपुर :- मण्डल-3 (नवीन-1), संभाग-6 (नवीन-2), उपसंभाग-24 (नवीन-17), (पुराना-7)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रा. रा. परिक्षेत्र रायपुर (नवीन)	रा. रा. मंडल रायपुर.	1. रा. रा. संभाग क्र. 1, रायपुर.	1. रा. रा. उपसंभाग क्र. 1, रायपुर.	**रा. रा. क्र. 6** :- कि.मी. 221 से 238= 18.00 कि. मी. **रा. रा. क्र. 43** :- कि.मी. 4/4 से 105= 101.80 कि. मी. **रा. रा. क्र. 217** :- कि.मी. 1 से 35= 35.00 कि. मी.
			2. रा. रा. उपसंभाग पिथौरा.	**रा. रा. क्र. 6** :- कि.मी. 89/6 से 220= 131.60 कि. मी. **रा. रा. क्र. 216** :- कि. मी. 76/8 से 91/6=15.00 कि. मी. **रा. रा. क्र. 217** :- कि.मी. 36 से 66/6= 30.60 कि.मी.
			3. रा. रा. उपसंभाग राजनांदगांव.	**रा. रा. क्र. 6** :- कि. मी. 323/6 से 405/8=82.40 कि. मी.
		2. रा. रा. संभाग क्र. 2, रायपुर.	1. रा. रा. उपसंभाग क्र. 2, रायपुर.	**रा. रा. क्र. 200** :- कि.मी. 1 से 78= 78.00 कि. मी. **रा. रा. क्र. 12ए** :- कि.मी. 270/6 से 318/4=48.00 कि. मी.
			2. रा. रा. उपसंभाग कवर्धा.	**रा. रा. क्र. 12ए** :- कि.मी. 192/6 से 270/4=78.00 कि. मी.
		3. रा. रा. संभाग जगदलपुर.	1. रा. रा. उपसंभाग जगदलपुर.	**रा. रा. क्र. 43** :- कि. मी. 221 से 317/8=96.80 कि. मी. **रा. रा. क्र. 16** :- कि.मी. 493 से 504= 12.00 कि. मी. **रा. रा. क्र. 202** :- कि.मी. 1 से 36= 36.00 कि. मी. **रा. रा. क्र. 221** :- कि.मी. 15/4 से 185= 170.40 कि. मी.
			2. रा. रा. उपसंभाग कांकेर.	**रा. रा. क्र. 43** :- कि.मी. 106 से 220= 115.00 कि. मी.
			3. रा. रा. उपसंभाग गीदम.	निरंक

रा. रा. मण्डल, रायपुर में संभाग-3, उपसंभाग-8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	रा. रा. मंडल बिलासपुर.	1. रा. रा. संभाग बिलासपुर.	1. रा. रा. उपसंभाग बिलासपुर.	**रा. रा. क्र. 200 :-** कि.मी. 79 से 141= 63.00 कि. मी.
			2. रा. रा. उपसंभाग चांपा.	**रा. रा. क्र. 200 :-** कि. मी. 142 से 241/4=99.40 कि. मी.
			3. रा. रा. उपसंभाग रायगढ़.	**रा. रा. क्र. 200 :-** कि. मी. 241/6 से 313/6=72.20 कि. मी. **रा. रा. क्र. 216 :-** कि. मी. 4/10 से 76/6=71.80 कि. मी.
		2. रा. रा. संभाग अंबिकापुर.	1. रा. रा. उपसंभाग अंबिकापुर.	**रा. रा. क्र. 78 :-** कि.मी. 332 से 451= 120.00 कि. मी.
			2. रा. रा. उपसंभाग मनेन्द्रगढ़.	**रा. रा. क्र. 78 :-** कि.मी. 246 से 331/6= 86.00 कि. मी.
			3. रा. रा. उपसंभाग जशपुर नगर.	**रा. रा. क्र. 78 :-** कि.मी. 452 से 600/2= 148.20 कि. मी.

रा. रा. मण्डल बिलासपुर में संभाग-2, उपसंभाग-6

रा. रा. परिक्षेत्र, रायपुर :- मण्डल-2, संभाग-5, उपसंभाग-14

	वि./यॉ. मंडल रायपुर.	1. वि./यॉ. संभाग रायपुर.	1. वि./यॉ. उपसंभाग रायपुर.	रायपुर
			2. वि./यॉ. उपसंभाग धमतरी.	धमतरी जिला
			3. वि./यॉ. उपसंभाग महासमुंद.	महासमुंद जिला
			4. वि./यॉ. उपसंभाग मंत्रालय.	मंत्रालय का कार्यक्षेत्र
			5. वि./यॉ. उपसंभाग विधान सभा.	रायपुर एवं विधान सभा
		2. वि./यॉ. संभाग दुर्ग (नवीन)	1. वि./यॉ. उपसंभाग दुर्ग.	दुर्ग जिला
			2. वि./यॉ. उपसंभाग कवर्धा.	कवर्धा जिला
			3. वि./यॉ. उपसंभाग राजनांदगांव.	राजनांदगांव जिला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. वि./यॉ. संभाग जगदलपुर.	1. वि./यॉ. उपसंभाग जगदलपुर.	जगदलपुर जिला
			2. वि./यॉ. उपसंभाग कांकेर.	कांकेर जिला
			3. वि./यॉ. उपसंभाग दन्तेवाड़ा.	दन्तेवाड़ा जिला
			4. वि./यॉ. उपसंभाग बीजापुर (नवीन)	बीजापुर जिला
			5. वि./यॉ. उपसंभाग नारायणपुर (नवीन)	नारायणपुर जिला

(वि./यॉ.) मण्डल रायपुर में संभाग-3, उपसंभाग-13 (नवीन 2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	वि./यॉ. मंडल बिलासपुर (नवीन)	1. वि./यॉ. संभाग बिलासपुर.	1. वि./यॉ. उपसंभाग बिलासपुर.	बिलासपुर जिला
			2. वि./यॉ. उपसंभाग हाईकोर्ट बिलासपुर (नवीन)	बिलासपुर हाईकोर्ट एवं बिलासपुर
			3. वि./यॉ. उपसंभाग जांजगीर (नवीन)	जांजगीर जिला
			4. वि./यॉ. उपसंभाग कोरबा.	कोरबा जिला
			5. वि./यॉ. उपसंभाग रायगढ़.	रायगढ़ जिला
		2. वि./यॉ. संभाग अंबिकापुर (नवीन)	1. वि./यॉ. उपसंभाग अंबिकापुर.	सरगुजा जिला
			2. वि./यॉ. उपसंभाग कोरिया, मनेन्द्रगढ़.	कोरिया जिला
			3. वि./यॉ. उपसंभाग जशपुर.	जशपुर जिला

(वि./यॉ.) मण्डल बिलासपुर में संभाग-2, उपसंभाग-8 (नवीन-2)

कुल योग :- मण्डल 2, (नवीन-1), संभाग-5 (नवीन 2), उपसंभाग-21 (नवीन-4)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ 8-7/07/10-2.—वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम 1972 का सं. 53) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7-18/एफ. बी./2001, दिनांक 21 अगस्त 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

अधिसूचना के परिशिष्ट के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

परिशिष्ट

जिला	-	कबीरधाम
वनमंडल	-	कवर्धा
तहसील	-	कवर्धा
परिक्षेत्र	-	कवर्धा, चिल्फी, रेंगाखार
अभ्यारण्य का नाम	-	भोरमदेव वन्यप्राणी अभ्यारण्य
सम्मिलित वनखंड	-	आरक्षित वनखंड-बंजारी, चिल्फी, रेंगाखार संरक्षित वनखंड- राजाढार, खिलाही, माराडबरा, लूप पूर्व, लूप पश्चिम, लूप दक्षिण, झलमला, बरेंडीपानी
क्षेत्रफल	-	आरक्षित वन 22833.12 हेक्टेयर संरक्षित वन 7469.07 हेक्टेयर राजस्व क्षेत्र 4822.00 हेक्टेयर (चिल्फी, राजाढार, तुरियाबाहरा, लूप, साल्हेवारा, सिंघनपुर, सिंवनी, माराडबरा, बालसमुंद, मचियाकोन्हा, बहनाखोदरा, शीतलपानी, सोनवाही, बरेंडीपानी, सिलयारी, कुमान, नंदनी, दरिया, समनापुर, प्रतापगढ़, भंवरटोक, टेड़गासाल्हे, दुरदुरी, थंवरझोल, बकोदा एवं धनडबरा राजस्व ग्राम का क्षेत्र.) (कुल क्षेत्रफल 35124.19 हे. अर्थात् 351.24 वर्ग कि. मी.)

सीमाएं

उत्तर - मध्यप्रदेश के डिडोंरी जिला की सीमा

पूर्व - कक्ष क्रमांक 47, 48, 54, 57, 60 की पश्चिमी सीमा, ग्राम पालक, कक्ष क्रमांक 62 (पुराना नं. 62 ए), 70 (पुराना नं. 70 ए), 69 (पुराना नं. 69 ए), 67 की पश्चिमी सीमा, ग्राम छपरी, कक्ष क्रमांक 80, 81, 99 की पश्चिमी सीमा.

दक्षिण - ग्राम मण्डलाकोन्हा की उत्तरी सीमा, कक्ष क्रमांक 100, 319 (पुराना नं. पी 28) की उत्तरी सीमा, ग्राम बांधा की उत्तरी सीमा, कक्ष क्रमांक 107, 106 की उत्तरी सीमा, ग्राम महाराजपुर की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 231 (पुराना नं. 200), 233 (पुराना नं. 202), 234 (पुराना नं. 203) की उत्तरी सीमा, कक्ष क्रमांक 103 की पूर्वी सीमा, ग्राम जमुनापानी की दक्षिणी सीमा, 340 (पुराना नं. 390), 339 (पुराना नं. 388) की पूर्वी सीमा, 336 (पुराना नं. 387) की उत्तरी सीमा, ग्राम झलमला, कक्ष क्रमांक 342 (पुराना नं. 398), 123, 122, 345 (पुराना नं. 402) की उत्तरी सीमा एवं ग्राम कोरकट की सीमा.

पश्चिम - जिला बालाघाट की सीमा एवं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की पूर्वी सीमा.

Raipur, the 7th September 2007

No. F 8-7/07/10-2.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 18 of the Wild-life (Protection) Act, 1972 (Central Act No. 53 of 1972), the State Government, hereby, makes the following amendment in department notification No. F. 7-18/F. C./2001 dated 21st August, 2001 with effect from the date of publication in Official Gazette, namely :—

AMENDMENT

In the said notification :—

For appendix of the notification, the following appendix shall be substituted, namely :—

APPENDIX

District	-	Kabeerdham
Forest Division	-	Kawardha
Tehsil	-	Kawardha
Range	-	Kawardha, Chilphi, Rengakhar
Name of Sanctuary	-	Bhoramdeo Wildlife Sanctuary
Forest Block	-	R. F.- Banjari, Chilphi, Rengakhar P. F.- Rajadhar, Khilahi, Maradabara, Loop East, Loop West, Loop South, Jhalmala, Barendipani.
Area	-	Reserved Forests 22833.12 hect. Protected Forests 7469.07 hect. Revenue Area 4822.00 hect. (Area of Chilphi, Rajadhar, Turiyabahra, Loop, Salhevara, Singhanpur, Sivani, Maradabara, Balsamund, Machiyakonha, Bahnakhodara, Sitalpani, Sonvahi, Barendapani, Silyari, Kuman, Nandni, Dariya, Samnapur, Pratapgarh, Bhanvartok, Tedgasalhe, Durduri, Thanvarjhol, Bakoda and Dhandabra Revenue Villages.) (Total Area 35124.19 ha. or 351.24 sq. km.)

BOUNDARIES

North - District boundary of Dindori district of M. P. State.

East - Western boundary of compartments Nos. 47, 48, 54, 57, 60 village boundary of Palak, western boundary of compartment Nos. 62 (Old No. 62A), 70 (Old No. 70A), 69 (Old No. 69 A), 67 village boundary of Chhapri, western boundary of compartment No. 80, 81 and 99.

South - Northern boundaries of village Mandlakona, northern boundary of compartment Nos. 100, 319 (Old No. P 28), northern boundary of village Bandha, northern boundary of compartment No. 107, 106, northern boundary of village Maharajpur, northern boundary of compartment No. 231 (Old No. 200), 233 (Old No. 202), 234 (Old No. 203), eastern boundary of compartment No. 103, southern boundary of village Jamunpani, eastern boundary of compartment No. 340 (Old No. 390), 339 (Old No. 388), northern boundary of compartment No. 336 (Old No. 387), boundary of village Jhalmala, northern boundary of compartment No. 342 (Old No. 398), 123, 122, 345 (Old No. 402) and boundary of Korkat village.

West - District boundary of Balaghat district and Eastern boundary of Kanha National Park.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. भट्ट, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 26 अप्रैल 2007

क्रमांक/50/भू-अर्जन/8 अ/82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	कोना प. ह. नं. 132	1.243	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ. ग.)	कोना जलाशय के डूबान निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 11 सितम्बर 2007

क्रमांक 8896/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	खुटाकुंडा	3.18	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	जलाशय प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 सितम्बर 2007

क्रमांक 8899/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	नवापारा	03.00	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, कोरबा.	जलाशय प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2007

क्रमांक 9044/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	बंचर	1.821	कार्यपालन अभियंता, (सं/सा) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा.	विद्युत उप केन्द्र की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक/845/ले. पा./भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	सुरहोली प. ह. नं. 29	0.467	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	सुरहोली जलाशय के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक/846/ले. पा./भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	सिंगारडिह प. ह. नं. 36	0.30	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	लोरनारा डायवर्सन के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक/847/ले. पा./भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	भैंसबोड प. ह. नं. 28	3.70	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	तरकोरी बोरिया जलाशय के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक/848/ले. पा./भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	बोरिया प. ह. नं. 28	7.18	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	तरकोरी बोरिया जलाशय के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक/850/ले. पा./भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	बेरलाकला प. ह. नं. 39	1.23	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	छोटे बेरला जलाशय के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक/851/ले. पा./भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	कंडरका प. ह. नं. 39	0.22	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	छोटे बेरला जलाशय के अंतर्गत नहर में अर्जन बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक/852/ले. पा./भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	आनंदगांव प. ह. नं. 26	10.13	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	आनंदगांव जलाशय के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक/854/ले. पा./भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	गुधेली प. ह. नं. 40	1.36	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	छोटे बेरला जलाशय के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	गनपतपुर प. ह. नं. 13	0.374	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	ससकोबा गनपतपुर मार्ग के कि.मी. 8/6 पर मांड नदी पर सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	ससकोबा प. ह. नं. 13	0.230	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	तिलडोंगा ससकोबा मार्ग के कि. मी. 7/4 पर भरारीनाला पर सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	ससकोबा प.-ह. नं. 13	0.450	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	ससकोबा गनपतपुर मार्ग के कि.मी. 8/6 पर मांड नदी पर सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक/125/भू-अर्जन/अ.वि.अ./01 अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1-सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-धनसुली, प. ह. नं. 131
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.76 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
835	0.36
834	0.12
836	0.41
837	0.95
843	0.38
896	0.30
895	0.08
893	0.11
894	0.03
908	0.26
892	0.02
891	0.03
887	0.20
898	0.05
899	0.19
910	0.16

	(1)	(2)
	909	0.11
योग	17	3.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- धनसुली जलाशय के डूबान क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 20 अगस्त 2007

क्रमांक 1162/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-सुरडुंग, प. ह. नं. 46
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
128	0.14
125	0.32
123	0.06
843	0.02
योग	0.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुरडुंग जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 अगस्त 2007

क्रमांक 1165/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-मोहदी, प. ह. नं. 55
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.62 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
227 526	0.85
182 445	1.60
226/1 525	1.00
183/1 442	0.50
230/1 530/3	0.44
183/1 444	0.10

(1)	(2)
225, 511	0.08
197, 455	0.05
योग	4.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहदी जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 अगस्त 2007

क्रमांक 1168/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-ढौर, प. ह. नं. 41
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
193	0.11
योग	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हिंगनाडीह माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 अगस्त 2007

क्रमांक 1171/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-सुरजीडीह, प. ह. नं. 43
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
180	0.02
232	0.01
241	0.01
योग	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नंदौरी जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 अगस्त 2007

क्रमांक 1174/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-नंदौरी, प. ह. नं. 45
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
794	0.04
943	0.01
958	0.01
योग	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नंदौरी जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 अगस्त 2007

क्रमांक 1177/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-मेंडेसरा, प. ह. नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1252	0.04
1251	0.04
1250	0.05
755/1	0.03
755/2	0.03
योग	0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मेंडेसरा डायवर्सन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 16 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-कटघोरा
(ग) नगर/ग्राम-रतीजा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
442/3	0.06
442/4	0.05
442/5	0.05

(1)	(2)
442/6	0.05
442/7	0.05
442/8	0.05
443/1	0.56
443/2	0.08
443/3	0.36
443/4	0.26
443/5	0.20
451/1	0.30
451/2	0.08
451/3	0.18
451/5	0.40
451/6	0.22
452/1	0.60
452/2	0.08
452/3	0.21
452/4	0.21
453/1	0.52
453/2	0.44
453/3	0.25
453/4	0.04
453/5	0.35
453/6	0.60
453/7	0.04
453/8	0.31
453/9	0.14
453/10	0.10
453/11	0.05
453/12	0.15
453/13	0.05
453/14	0.05
453/15	0.05
453/16	0.05
453/17	0.05
453/18	0.06
453/19	0.08
453/20	0.04
453/21	0.08
453/22	0.08
453/23	0.08
453/24	0.08
471/1	0.13
471/2	0.64
471/3	1.20
471/4	0.25
503	0.75
506	0.37
507/1	0.10
507/2	0.12
507/3	0.10
507/4	0.12
507/5	0.26
508/1	0.48
508/2	0.50
508/3	0.10
508/4	0.30
508/5	0.10
508/6	0.47
508/7	0.47
509/1	0.58
509/2	0.52
511	0.24
512/1	0.29
512/2	0.28
513/2	0.06
513/3	0.24
514	0.56
515	1.09
567/12	0.10
567/18	0.10
582/47	0.50
599/1	3.77
599/2	1.00
599/3	1.52
599/4	0.54
599/5	0.46
599/6	0.01
599/7	0.38
599/8	0.40
599/9	0.11
599/17	0.10
599/18	0.10
599/19	0.10
599/20	0.10
योग 87	27.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पावर प्लांट हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) के न्यायालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एल. निहालानी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2007

क्रमांक 9/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-बगरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.69 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
259	0.01
287/1	0.23
261/2	0.35
262	0.25
49/3	0.29
116	0.09
55/2	0.14
118/2	0.15
222/1	0.02
48	0.30
60/3	0.09
248/1	0.15
60/1	0.09
63	0.18
238	0.10
160/2 क	0.13
302/3	0.10
55/1	0.11
118/1	0.03
248/4	0.11
296, 297/1	0.13
251/3	0.07
234	0.23
235	0.10
59	0.18
56/2	0.14
300/2	0.06
298/2	0.03
299	0.29
160/1 घ	0.14
301/3	0.32
56/1	0.14
52	0.11
61	0.11
229/1	0.07
261/3	0.17
286/1 क	0.07
55/3	0.09
66/6	0.25
232/2	0.70
250	0.06
237	0.09
239	0.11
160/2 ख	0.11
योग 44	6.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2007

प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिलासपुर

(ग) नगर/ग्राम-नेवसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.67 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
888	0.21
897	0.79
898	0.20
889	0.21
890	0.21
891	0.81
892	0.08
899	0.59
912/1	0.25
912/2	0.33
912/3	0.09
914/1	0.78
922/1, 922/2	0.38
926/1	0.07
926/3	0.04
927/1	0.35
927/2	1.00
928	0.02
893/2	0.25
894/1	0.27
894/2	0.13
894/3	0.14
895	0.42
896	0.47
900	0.55
917	0.02
918/1	0.26
919/1	0.10
909/1	0.30
909/2	0.30
910/1	0.13
910/2	0.13
911	0.08
913	0.06
912/1	0.66
912/4	0.09
912/5	0.08
912/6	0.08
914/2	0.39
914/3	0.39
915/1	0.31
924	0.22
915/2	0.61
916/2	0.16
916/3	0.16
918/2	0.22
919/2	0.05
920	0.15
923	0.70
925	0.38
योग 50	14.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अकलतरी जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 35/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-बरछा, प. ह. नं. 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.51 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
553/2	0.30

	(1)	(2)
	483/4	0.20
	550	0.06
	554/2	0.23
	548	0.04
	549	0.04
	547	0.17
	556/1	0.17
	535	0.30
योग	9	1.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेसुंवा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2007.

प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मंगला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.494 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	923/2	0.014
	889	0.009
	890/1, 2, 3, 4	0.014
	921/1	0.025
	899/1	0.024
	896/1	0.039
	885	0.037
	882/1	0.014
	881/3	0.005
	870/1	0.006
	923/1	0.003
	923/4	0.003
	923/5	0.003
	923/3	0.012
	869/2	0.018
	868/1	0.012
	868/2	0.012
	867	0.009
	853	0.025
	924/2, 925/2	0.004
	924/3, 925/3, 926/3	0.020
	924/4, 925/4, 926/4	0.004
	924/5, 925/5, 926/5	0.003
	924/6, 925/6, 926/6	0.003
	964	0.020
	967/1 क/1, 967/2 क/1	0.007
	967/1 क	0.007
	967/2 क	0.007
	967/1 क/12	0.007
	967/1 क/6, 967/2 क/6	0.007
	967/1 क/8, 967/2 क/8	0.007
	967/1 ग, 967/2 ग	0.007
	968/3	0.004
	968/2 ग	0.002
	968/12, 968/28	0.002
	968/1 क, 968/1 ख	0.008
	980/3	0.015
	980/2	0.010
	980/1	0.004
	981/1	0.014
	981/2, 982/2	0.006
	982/1	0.006
	983	0.029
योग	40	0.494

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नाला निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा

बी-99, मेन रोड, समता कालोनी, डॉ. पांडे नर्सिंग होम के पास, रायपुर छ. ग.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2007

आदेश क्रमांक 58/2007.—छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्रमांक 507/485/2007/स्था/चार दिनांक 14-06-2007 द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2003 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत परीवीक्षाधीन सहायक संचालकों के लिए विभागीय परीक्षा भाग-एक एवं दो आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई. शासन अनुमति के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 03-09-2007 से 07-09-2007 के मध्य आयोजित विभागीय परीक्षा भाग-दो में निम्न अधिकारियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

क्र.	परीक्षा अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम
1.	2001	सुश्री भारती सिंह राजपूत
2.	2002	श्री एस. एस. ताण्डेय
3.	2003	श्री गोविंद सिंह कुमेटी
4.	2004	श्री विकास माहेश्वरी

अजयपाल सिंह,
आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर
(भू-अभिलेख शाखा)

जगदलपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

क्रमांक 179/भू-अ./अ. भू.अ./2007.—भू-अभिलेख नियमावली भाग-3 के अध्याय एक की कण्डिका-7 के अनुसार भू-अभिलेख कर्मचारियों के कार्यो पर नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है. यह आदेश राजस्व वर्ष 2007-08 के लिये दिनांक 1-10-2007 से प्रभावशील होगा.

क्र.	भू-अभिलेख अधिकारी का नाम	पदनाम	तहसील का नाम	रा. नि. मं. का नाम	कुल प. ह. की संख्या	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	श्री आर. एन. कामड़ी	अधीक्षक भू-अभिलेख,	जगदलपुर	बकावण्ड	14	
				भानपुरी	13	
				बस्तर	13	
				जगदलपुर 'अ'	04	
				जगदलपुर 'ब'	21	
				केशलूर	14	
2.	श्री एफ. कुजूर	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख-I	केशकाल	केशकाल	11	
				बड़ेराजपुर	12	
				धनोरा	06	
			जगदलपुर	करपावण्ड	10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	श्री सियाशरण शर्मा	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख-II	जगदलपुर	दरभा	16	
				बास्तानार	10	
				चित्रकोट	15	
4.	श्री सी. आर. सलाम	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख-III	कोण्डागांव	कोण्डागांव	15	
				मांकड़ी	10	
				मर्दापाल	08	
				फरसगांव	12	

सामान्य निर्देश

1. जिन पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों की जांच गत वर्ष शेष रह गई हो तो उसकी जांच सर्वप्रथम की जावे.

2. अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित) अपना भ्रमण कार्यक्रम कार्यालयीन कार्यों, राजस्व अधिकारियों की बैठक तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार करेंगे. कार्यालय की स्थापना/लेखा से संबंधित समस्त नस्तियों अधीक्षक भू-अभिलेख के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भेजी जावेगी. किंतु अधीक्षक भू-अभिलेख के भ्रमण/अवकाश/बैठक या अन्य कार्य में व्यस्त रहने पर सहायक अधीक्षकों के प्राथमिकता क्रम से नस्ती उच्चाधिकारियों को प्रेषण किये जायेंगे. तथापि नीतिगत निर्णय वाले नस्ती केवल अधीक्षक भू-अभिलेख के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेंगे. राजस्व निरीक्षकों द्वारा संधारित किये जाने वाले सांख्यिकी कार्यों का पर्यवेक्षण संबंधित सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख करेंगे. भू-अभिलेख शाखा के नस्तियों के साथ-साथ राजस्व सर्वे की नस्तियां भी उपरोक्तानुसार विहित प्रक्रिया से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे. शाखा में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने-अपने प्रभार के नस्तियों का संधारण एवं समयावधि के अंतर्गत तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु स्वयं उत्तरदायी होंगे.

3. शाखा में कार्यरत सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख अपना भ्रमण कार्यक्रम निम्न निर्धारित तिथि के अनुसार करेंगे.

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	पदनाम (3)	भ्रमण हेतु निर्धारित तिथियां (4)
1.	श्री एफ. कुजूर	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख-I	दि. 07 से 09, दि. 14 से 16, दि. 24 से 27 तक
	श्री सियाशरण शर्मा	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख-II	दि. 10 से 13, दि. 18 से 23 तक
	श्री सी. आर. सलाम	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख-III	दि. 06 से 08, दि. 20 से 23, दि. 29 से 31 तक

लिंक व्यवस्था

क्र. (1)	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख का नाम (2)	लिंक सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख का नाम (3)
1	श्री एफ. कुजूर	श्री सियाशरण शर्मा
2	श्री सियाशरण शर्मा	श्री सी. आर. सलाम
3	श्री सी. आर. सलाम	श्री एफ. कुजूर /श्री सियाशरण शर्मा

4. भ्रमण पर गये सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख का कार्यालयीन कार्य कार्यालय में उपस्थित रहने वाले सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा संपन्न किया जावेगा.

5. समस्त भू-अभिलेख अधिकारी प्रतिमाह प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम तथा संशोधन होने पर संशोधित कार्यक्रम की एक प्रति एवं की गई क्षेत्रीय/शासकीय भ्रमण की दैनिन्दनी अधीक्षक भू-अभिलेख को प्रतिमाह प्रस्तुत करेंगे.

6. राजस्व निरीक्षक (वर्कलोड) जगदलपुर अवकाश अथवा अन्य कार्य पर होने से उनके कार्यालयीन कार्यों का संपादन सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख अपने मार्गदर्शन में जानकारी तैयार करायेंगे.

कार्य विभाजन

निम्नलिखित उच्च भू-अभिलेख अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :—

अधीक्षक भू-अभिलेख

1. शासन स्तर/आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ एवं उपायुक्त भू-अभिलेख, छ. ग. रायपुर के संभागीय बैठक में उपस्थित होना.

2. अधीक्षक भू-अभिलेख/सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख एवं कार्यालयीन लिपिकों के मध्य कार्य विभाजन.

3. राजस्व निरीक्षकों की मासिक बैठक का संचालन.

4. राजस्व एवं भू-अभिलेख अधिकारियों की बैठक में उपस्थित होना तथा जानकारी तैयार करवाना.

5. राजस्व निरीक्षक/पटवारियों के गोपनीय चरित्रावली नस्तियों का संधारण.

6. राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की पदस्थापना संबंधी नस्तियों को प्रस्तुत करना.

7. भंडार एवं कार्यालय में उपलब्ध निम्नलिखित सामग्री का अर्धवार्षिक भौतिक सत्यापन तथा निरीक्षण कार्य एवं सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट अपर कलेक्टर महोदय को समीक्षा के साथ प्रस्तुत करना.

8. 1. वर्षामापक यंत्र
   2. भू-मापन उपकरण एवं ड्राईंग सामग्री
   3. लेखन सामग्री
   4. फर्नीचर एवं अन्य सामग्री

9. आवक जावक लिपिक के पास संबंधित सर्विस टिकिट का सत्यापन.

10. आवक जावक लिपिक के पास संधारित डी. ओ. पंजी, तार विधान सभा, लोक सभा, राज्य सभा से संबंधित नस्ती तथा अन्य आवश्यक पंजियों का निरीक्षण एवं निर्देशन कार्य.

11. प्रभार के तहसील के राजस्व निरीक्षकों के कार्यालय की जांच, पटवारी बस्ते की जांच तथा गिरदावरी जांच तहसील कानूनगो कार्यालय की जांच तथा शाखा के कार्यरत सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा किये गये कार्यों, पटवारी के क्षेत्रीय कार्यों/बस्ता जांच एवं राजस्व निरीक्षक कार्यालय की जांच की सुपर जांच.

12. क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण.

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के मध्य कार्य विभाजन

श्री एफ. कुजूर, सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख-I

1. लघु सिंचाई योजना संगणना
2. कृषि संगणना
3. आदान सर्वेक्षण
4. युक्तियुक्तकरण योजना अंतर्गत निजी स्रोतों से सिंचित क्षेत्र की त्रैमासिक जानकारी
5. अनुपयोगी भूमि के विकास संबंधी नस्ती
6. गैर सकुनात/गैर निवासी पटवारियों की सूची
7. भू-परिमाप एवं बंदोबस्त की वार्षिक प्रतिवेदन
8. पटवारी अभिलेख संधारण संबंधी
9. अधिकार अभियान
10. वर्षामापक यंत्र की नस्ती
11. टोप्पो शीट एवं सीमा विवाद
12. चलित न्यायालय
13. बाढ़ नियंत्रण के संबंध में
14. वन भूमि व्यवस्थापन की नस्ती
15. संभावित न्यादर्श पद्धति द्वारा फसल कटाई प्रयोग
16. भू-अभिलेख शाखा के कर्मचरियों की उपस्थिति पंजी का संधारण/पर्यवेक्षण
17. पटवारी के गिरदावरी कार्य/वैज्ञानिक जांच
18. विश्व बैंक योजनांतर्गत फसल कटाई प्रयोग
    टी. आर. एस. गिरदावरी.

श्री एस. एस. शर्मा, सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख-II

1. भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका वितरण
2. सीमांकन एवं नामांतरण की मासिक प्रगति
3. राजस्व निरीक्षक/पटवारियों के कार्य की मासिक समीक्षा
4. वार्षिक खसरा रोस्टर एवं समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य नस्तियां
5. पटवारी व्यादेश (इन्डेन्ट) की नस्ती
6. प्रभार क्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्रों पर एवं समय-समय पर सौंपे गए नस्ती पर कार्यवाही
7. पटवारियों के गिरदावरी कार्य की मासिक प्रगति
8. सामान्य गिरदावरी जांच
9. भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त अभिलेखों का हस्तांतरण नस्ती
10. बंदोबस्त सर्वेक्षण संबंधी अभिलेखागार निर्माण की नस्ती
11. पटवारी पद से राजस्व निरीक्षक पद हेतु प्री-परीक्षा की नस्ती
12. राजस्व अधिकारियों की सर्वे परीक्षा
13. नक्शा नवीनीकरण की नस्ती
14. राजस्व सर्वे के कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी संधारण एवं पर्यवेक्षण
15. बंदोबस्त के पुराने प्रकरणों में न्यायालय पर उपस्थित होना
16. शासकीय भूमि के पट्टाधारियों द्वारा बिना अनुमति भूमि का विक्रय की नस्ती
17. तहसील जगदलपुर के सीमांकन की नस्ती.

श्री सी. आर. सलाम, सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख-III

1. अद्यतन हल्का बंदी योजना से संबंधित नस्ती पर कार्यवाही

2. ग्राम पंचायतों को भू-अभिलेखों की नकल प्रदाय करना
3. प्रत्येक ग्राम पंचायतों को पटवारी हल्का बनाने बाबत
4. ब्राडमा एवं कम्प्यूटर की नस्ती
5. पटवारी प्रोत्साहन योजना
6. नवीन तहसीलों का गठन
7. मजमूली नक्शों का अद्यतन
8. सीलिंग संबंधी नस्तियां
9. भू-दान भूमि के आवंटन की जानकारी
10. आडिट एवं समय-समय पर सौंपे गये अन्य नस्तियां
11. ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के पंचायत में उपस्थिति बाबत
12. "भुंईया कार्यक्रम" की नस्तियां
13. बंधक श्रमिक बाल श्रमिक से संबंधित नस्तियां
14. पटवारियों के मुख्यालयों में उपस्थिति बाबत नस्ती
15. अधीक्षक भू-अभिलेख एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

राजस्व निरीक्षक (वर्कलोड) भू-अभिलेख शाखा

विभिन्न फसलों के पुर्वानुमान का संकलन

विभिन्न फसलों के पुर्वानुमान का संकलन तथा लिस्ट के अनुसार पत्रक आयुक्त भू-अभिलेख को भेजने के लिये कार्यालय राजस्व निरीक्षक (वर्कलोड) उत्तरदायी रहेंगे. समस्त पुर्वानुमान के माध्यम से भेजे जायेंगे.

राजस्व निरीक्षक (वर्कलोड) रा. नि. मंडल जगदलपुर (ब) के प्रभार के साथ कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे तथा कार्यालय के निम्नलिखित कार्य संपादित करेंगे.

1. निर्धारित फसलों के पूर्वानुमान प्रतिवेदन जिले के सभी राजस्व निरीक्षक से संकलन कर नियत तिथि को प्रतिवेदित करना.
2. आयुक्त भू-अभिलेख/उपायुक्त भू-अभिलेख द्वारा निर्धारित सभी साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक तथा अन्य सांख्यिकीय प्रतिवेदनों का संकलन कर समयावधि में भेजना.
3. समयावधि में जिन राजस्व निरीक्षकों के पत्रक प्राप्त न होने की स्थिति में उनकी सूची तैयार कर उच्च अधिकारियों की बैठक में प्रस्तुत करना.
4. पूर्वानुमान एवं चेकलिस्ट का पंजी का संधारण एवं अद्यतन.
5. अधीक्षक भू-अभिलेख एवं उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य.
6. वार्षिक ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन.
7. वर्षा रिपोर्ट की जानकारी तैयार करना.

जी. एस. मिश्रा,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला कबीरधाम

कबीरधाम, दिनांक 27 अगस्त 2007

क्रमांक 819/अ. भू. अ./हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सोनमणि बोरा, कलेक्टर, जिला कबीरधाम एतद्द्वारा कबीरधाम जिले में दो पंचायतों का एक पटवारी हल्का के आधार पर जिले में कुल

188 पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं.

:: सूची ::

क्रं.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का		ग्राम पंचायत		पटवारी हल्का के अन्तर्गत आने वाले ग्राम	
			प.ह.नं.	मुख्यालय का नाम	क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	क्रं.	ग्राम का नाम पंचायतवार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कवर्धा	बोडला	1	चेन्द्रादादर	1	चेन्द्रादादर	1	चेन्द्रांदर
							2	कोयलारी
							3	साजाटोला
							4	मुकाम
							5	बंधौरा
					2	पिपरखूंटा	6	पिपरखूंटा
							7	रबदा
							8	बनगौरा
							9	हड़ही
							10	बाघामाड़ा
					योग :-			10 ग्राम
			2	दलदली	3	दलदली	11	दलदली
							12	बम्हनतरा
							13	बरघाट
							14	सेमसांटा
							15	दरई
							16	सलगी
							17	सुकझार
							18	भुरसीपकरी
							19	अंधरीकछार
					4	केसमरदा	20	केसमरदा
							21	बांकी
							22	मुंडादादर
							23	झोला
							24	खुर्रीपानी
							25	कुरकी

2		4	केसमरदा	26	गभौड़ा
			योग :–		16 ग्राम
3	लरबक्की	5	लरबक्की	27	लरबक्की
				28	धूमाछापर
				29	बदनापानी
				30	पकरीपानी
		6	आमानारा	31	आमानारा
				32	धनवाही
				33	गांडाघाट
				34	बरपानी
				35	झुरगीदादर
					योग :– 09 ग्राम
4	तरेगांव	7	तरेगांव	36	तरेगांव जंगल
				37	दुर्जनपुर
		8	कुकरापानी	38	कुकरापानी
				39	भोथियापथरा (वन. ग्राम)
				40	जामपानी
				41	कोटनापानी
				42	भरतपुर
				43	लीलादादर
			योग :–		08 ग्राम
5	छूही	9	छूही	44	छूही
				45	गुढ़ली
		10	बोटीपथरा	46	बांटीपथरा
				47	राली
			योग :–		04 ग्राम
6	मगरवाड़ा	11	मगरवाड़ा	48	मगरवाड़ा
				49	दुल्लापुर
				50	अमेरा
		12	मुड़घुसरी	51	मुड़घुसरी
				52	ठाकुरटोला
				53	कोमो
				54	सोनतरा
				55	सोनतराप्लाट
			योग :–		08 ग्राम
7	बैजलपुर	13	बैजलपुर	56	बैजलपुर
				57	गांगचुवा
				58	तरसिंग

				59	सिंघारी
		14	बोदा	60	बोदा
				61	जोकपानी
				62	पचराही
				63	पुतकी
				64	बसोहर सिल्ली (वीरान)
				65	लबदा
				66	सिल्ली
				67	सिल्लीप्लाट (वीरान)
			योग :-		12 ग्राम
8	शीतलपानी	15	शीतलपानी	68	शीतलपानी
				69	लरिया
				70	दादूटोला
				71	मछियाकोन्हा
				72	खिलाही उर्फ बालसमुंद
		16	झलमला	73	झलमला
				74	सोनहाडबरा (वीरान)
				75	सोनवाही
			योग :-		08 ग्राम
9	बहनाखोदरा	17	बहनाखोदरा	76	बहनाखोदरा
				77	सिवनीकला
				78	माराडबरा
				79	सिंघनपुरी
				80	प्रभुझोला
		18	लूप	81	लूप
				82	भोथी
				83	दुलदुला
				84	साल्हेवारा
			योग :-		09 ग्राम
10	चिल्फी	19	चिल्फी	85	चिल्फी
				86	बेंदा (वन ग्राम)
		20	राजाढार	87	राजाढार
				88	सरोधादादर
				89	तुरैयाबाहरा
				90	धवाईपानी
				91	जामपानी
				92	बेलापानी
			योग :-		08 ग्राम
11	बैरख	21	बैरख	93	बैरख

				94	बंजारी
				95	पालक
				96	चोरभट्टी
				97	थुहापानी (वन ग्राम)
		22	बोक्करखार	98	बोक्करखार
				99	बरहापानी
				100	कुंडपानी
				101	महलीघाट
				102	शंगुपीपर
				103	कबरीपथरा
				104	आमापानी
				105	मांदीभांटा खुर्द
			योग :–		13 ग्राम
12	भीरा	23	भीरा	106	भीरा
				107	छिरपानी
				108	अगरी
		24	ढोलबज्जा	109	ढोलबज्जा
				110	आमानारा
				111	नेवराटोला
				112	मक्केकोन्हा
				113	शाक्तिपानी
				114	पेण्ड्री
			योग :–		09 ग्राम
13	खड़ौदाखुर्द	25	खड़ौदाखुर्द	115	खड़ौदाखुर्द
				116	कांशीपानी
				117	कामाडबरी
				118	कांदापारा
		26	खरिया	119	खरिया
				120	सरई
				121	मुड़घुसरी
				122	मुड़घुसरीप्लाट (वीरान)
				123	मांदीभांटा कला (वीरान)
				124	मांदीभांटा प्लाट
				125	कोकदा (वीरान)
				126	कांशीपानी प्लाट (वीरान)
			योग :–		12 ग्राम
14	बोरिया	27	बोरिया	127	बोरिया
				128	अंधरीकछार
				129	धिरसाटोला
				130	जुनवानी

				131	कांपा
				132	कांपा प्लाट
				133	घोटा प्लाट
		28	खंडसरा	134	खंडसरा
				135	घोटा
		योग :–			08 ग्राम
15	मड़मड़ा	29	मड़मड़ा	136	मड़मड़ा
		30	छांटा	137	छांटा
				138	सिरमी
16	भलपहरी	31	भलपहरी	139	भलपहरी
				140	भलपहरीप्लाट
				141	अचानकपुर
		32	कबराटोला	142	कबराटोला
				143	बोईरकछरा
				144	महली
		योग :–			06 ग्राम
17	गण्डई खुर्द	33	गण्डईखुर्द	145	गण्डईखुर्द
				146	खुरमुण्डा
		34	कुसुमघटा	147	कुसुमघटा
		योग :–			03 ग्राम
18	तरेगांव मैदान	35	तरेगांव मैदान	148	तरेगांव मैदान
				149	लालपुर खुर्द
		36	नेऊरगांव कला	150	नेऊरगांव कला
		योग :–			03 ग्राम
19	भोंदा	37	भोंदा	151	भोंदा
		38	बोल्दाकाल	152	बोल्दाकला
				153	बोल्दाकला खुर्द
				154	बोल्दाकला प्लाट
				155	जोगीनवांगांव
				156	जोगीनवांगांव प्लाट (वीरान)
		योग :–			06 ग्राम
20	बोड़ला	39	बोड़ला	157	बोड़ला
		40	मंडलाटोला	158	मंडलाटोला
				159	सुकवापारा
				160	घोसर्रा
		योग :–			04 ग्राम
21	घोंघा	41	घोंघा	161	घोंघा
				162	चहटा
				163	जैतारोला

				42	खैरबनाखुर्द	164	खैरबनाखुर्द
						165	खुर्सीपार
					योग :–		05 ग्राम
		22	मिनमिनिया मैदान	43	मिनमिनिया मैदान	166	मिनमिनिया मैदान
						167	मोतिमपुर
					योग :–		02 ग्राम
		23	परभाटोला	44	परभाटोला	168	परभाटोला
						169	रींवापार
						170	परसाहा
				45	रंहगी	171	रंहगी
						172	बुधवारा
					योग :–		05 ग्राम
		24	लेंजाखार	46	लेंजाखार	173	लेंजाखार
						174	लखनपुर खुर्द
						175	पोंड़ीटोला
				47	मारियाटोला	176	मारियाटोला
						177	मुड़ियापारा
					योग :–		05 ग्राम
		25	पोंड़ी	48	पोंड़ी	178	पोंड़ी
				49	नेऊरगांव खुर्द	179	नेऊरगांव खुर्द
					योग :–		02 ग्राम
		26	सिल्हाटी	50	सिल्हाटी	180	सिल्हाटी
				51	मानिकपुर	181	मानिकपुर
					योग :–		02 ग्राम
		27	खड़ौदाकला	52	खड़ौदाकला	182	खड़ौदाकला
				53	गण्डईकला	183	गण्डईकला
						184	कारेसरा
						185	खरहट्टा
					योग :–		04 ग्राम
		28	बैहरसरी	54	बैहरसरी	186	बैहरसरी
				55	बघर्रा	187	बघर्रा
						188	उसलापुर
					योग :–		03 ग्राम
		29	सारंगपुर	56	सारंगपुरकला	189	सारंगपुरकला
				57	भरेली	190	भरेली
						191	लोहझरी
					योग :–		03 ग्राम
2 कवर्धा	कवर्धा-	30	रबेली	1	रबेली	1	रबेली
				2	राम्हेपुर	2	राम्हेपुरखुर्द

				3	सिंघनपुरी
				4	सुरजपुरा
		योग :–			04 ग्राम
31	नेवारीगुढ़ा	3	नेवारीगुढ़ा	5	नेवारीगुढ़ा
				6	दुल्लापुर
		4	कान्हाभैरा	7	कान्हा भैरा
		योग :–			03 ग्राम
32	लखनपुर कला	5	लखनपुर कला	8	लखनपुर कला
				9	लालपुर
		6	पथर्रा	10	पथर्रा
				11	आंछी
				12	मक्के
		योग :–			05 ग्राम
33	सोनबरसा	7	सोनबरसा	13	सोनबरसा
				14	गदहा भाठा
		8	सेमो	15	सेमो
				16	सिंघनपुरी
				17	मानपुर
		योग :–			05 ग्राम
34	बटुराकछार	9	बटुराकछार	18	बटुराकछार
				19	कोदवा
				20	सिंघनपुरी
		10	खड़ौदाखुर्द	21	खंड़ौदाखुर्द
				22	मदनपुर
		योग :–			05 ग्राम
35	सुखाताल	11	सुखाताल	23	सुखाताल
		12	बोधईकुण्डा	24	बोधईकुण्डा
				25	दशरंगपुर खुर्द
				26	खैरीपार
		योग :–			04 ग्राम
36	दौजरी	13	दौजरी	27	दौजरी
				28	घुकसा
		14	जरती	29	जरती
				30	नाऊडीह
		योग :–			04 ग्राम
37	नेवारी	15	नेवारी	31	नेवारी
		16	बरबसपुर	32	बरबसपुर
				33	डभराभाठ
				34	बिजाझोरी

		योग :–		04 ग्राम	
38	समनापुर	17	समनापुर	35	समनापुर
				36	मोटियारी
		18	जोराताल	37	जोराताल
				38	अमलीडीह
				39	तालपुर
		योग :–		05 ग्राम	
39	सिंघनपुरी	19	सिंघनपुरी	40	सिंघनपुरी
				41	गांगचुवा
		20	रेंगाखारखुर्द	42	रेंगाखारखुर्द
				43	कोडार
		योग :–		04 ग्राम	
40	हरिनछपरा	21	हरिनछपरा	44	हरिनछपरा
				45	राम्हेपुर
				46	चण्डालपुर
		22	भालुचुवा	47	भालुचुवा
		योग :–		04 ग्राम	
41	रघ्घूपारा	23	रघ्घूपारा	48	रघ्घूपारा
				49	तिलाईभाठ
				50	बिसनपुरा
		24	बद्दो	51	बद्दो
				52	लाटा
		योग :–		05 ग्राम	
42	राजानवांगांव	25	राजानवांगांव	53	राजानवांगांव
		26	बाघूटोला	54	बाघूटोला
				55	खिरसाली
		योग :–		03 ग्राम	
43	अचानकपुर	27	चिखली	56	चिखली
				57	अचानकपुर
				58	ढोगईटोला
				59	ढोगईटोला प्लाट
		28	रौचन	60	रौंचन
				61	बरकुही
		योग :–		06 ग्राम	
44	चिमरा	29	चिमरा	62	चिमरा
		30	बरहट्टी	63	बरहट्टी
				64	अमरौड़ी
				65	सेवईकछार
		योग :–		04 ग्राम	

			45	बेंदरची	31	बेंदरची	66 बेंदरची
							67 जैतपुरी
					32	सरेखा	68 सरेखा
							69 बरभांवर
							70 मदनाभेदी
						योग :-	05 ग्राम
			46	छपरी	33	छपरी	71 छपरी
							72 दियाबार
							73 दियाबार प्लांट
							74 चौरा
							75 रजपूरा
							76 सरकीकछार
					34	कटगो	77 कटगो
							78 हरमो
							79 भंवरटोक
							80 बकौदा
							81 दुरदुरी
							82 थंवरझोल
							83 टेड़गासाल्हे
							84 सिंगपुर
							85 भंडारडबरा
						योग :-	15 ग्राम
			47	लालपुरकला	35	लालपुरकला	86 लालपुर कला
							87 सिंघनपुरी
							88 हाथीडोब
					36	बांधा	89 बांधा
							90 केसदा
							91 झण्डी
							92 महराजपुरडीह
							93 मण्डलाकोन्हा
							94 धनडबरा
							95 प्रतापगढ़
							96 चौकी
							97 सगोनाडीह
							98 किसुनगढ़
							99 सरोधा
							100 अमलीदादर (वनग्राम)
						योग :-	15 ग्राम
			48	खैरबनाकला	37	खैरबनाकला	101 खैरबनाकला

		38	कांपा	102	कांपा
		योग :–			02 ग्राम
49	महराजपुर	39	महराजपुर	103	महराजपुर
				104	बाम्हनटोला
				105	जीताटोला
		40	जेवड़नकला	106	जेवड़नकला
				107	डगनिया
				108	तारो
		योग :–			06 ग्राम
50	धमकी	41	धमकी	109	धमकी
		42	बदराडीह	110	बदराडीह
				111	महराटोला
				112	सोहागपुर
		योग :–			04 ग्राम
51	भागूटोला	43	भागूटोला	113	भागूटोला
				114	चिमागोंदी
		44	मैनपुरी	115	मैनपुरी
				116	मुड़घुसरी
		योग :–			04 ग्राम
52	कवर्धा	1	कवर्धा नगर पलि.	117	कवर्धा नगर पालिका
53	मंजगांव	45	मंजगांव	118	मंजगाव
				119	सगौना
		46	घोठिया	120	घोठिया
				121	झलका
		योग :–			05ग्राम
54	घुघरीकला	47	घुघरीकला	122	घुघरीकला
				123	खूंटू
		48	घुघरीखुर्द	124	घुघरीखुर्द
				125	सारंगपुरकला
				126	नवांगांव फरीद
		योग :–			05ग्राम
55	जेवड़नखुर्द	49	जेवड़नखुर्द	127	जेवड़नखुर्द
				128	बांझीमौहा
				129	चारभाठा
				130	बिजई
		50	मरपा	131	मरपा
				132	जमुनिया
		योग :–			06ग्राम
56	कोठार	51	कोठार	133	कोठार

					52	चरडोंगरी	134	चरडोंगरी
							135	झिरना
							136	दुल्लापुर
								04ग्राम
			57	कोको	53	कोको	137	कोको
							138	भेलवाभांवर
							139	बैजलपुर
					54	बारदी	140	बारदी
							141	गोरखपुर
							142	बरदुली
						योग :–		06ग्राम
			58	खैरझिटी	55	खैरझिटी	143	खैरझिटी
							144	बानो
							145	दलपुरूवा
					56	खैरवार	146	खैरवार
							147	जोगीपुर
						योग :–		05ग्राम
			59	मोहगांव	57	मोहगांव	148	मोहगांव
							149	छांटा
					58	गांगपुर	150	गांगपुर
							151	नवघटा
						योग :–		04ग्राम
			60	पिपरिया	59	पिपरिया	152	पिपरिया
					60	खम्ही	153	खाम्ही
							154	दरगंवा
						योग :–		04ग्राम
	3	कवर्धा	कवर्धा–2	61	बिरकोना	1	बिरकोना	1	बिरकोना
					2	पालीगुड़ा	2	पालीगुड़ा
							3	परसवारा
						योग :–		03ग्राम
			62	सोनपुरी	3	सोनपुरी	4	सोनपुरी
					4	दुल्लापुर	5	दुल्लापुर.
							6	मगरंदा
							7	भीमपुरी
						योग :–		04ग्राम
			63	छिरहा	5	छिरहा	8	छिरहा
					6	बीरूटोला	9	बीरूटोला
							10	बाघूटोला
							11	नवागांव

					योग :–			04ग्राम
			64	लिमो	7	लिमो.	12	लीमो
							13	जुनवानी
					8	भेदली	14	नवांगांव तिवारी
							15	भेदली
							16	कुटेली
							17	थुहाडीह
							18	खैरझिटीखुर्द
					योग :–			07 ग्राम
			65	छांटा झा	9	छांटा झा	19	छांटा झा
					10	लासाटोला	20	मड़मड़ा
							21	लासाटोला
							22	रघुनाथपुर
					योग :–			04ग्राम
			66	बम्हनी	11	बम्हनी	23	बम्हनी
					12	बन्दौरा	24	ठकुराईनटोला
							25	बन्दौरा
					योग :–			03 ग्राम
			67	जिन्दा	13	जिन्दा	26	जिन्दा
					14	मिरमिट्टी	27	कुटकीपारा
							28	मिरमिट्टी
							29	दुबहा
					योग :–			04 ग्राम
			68	धरमपुरा	15	धरमपुरा	30	धरमपुरा
					16	मानिकचौरी	31	मानिकचौरी
					योग :–			02 ग्राम
4	कवर्धा	दशरंगपुर	69	डेहरी	1	डेहरी	1	डेहरी
							2	नवागांव
					2	घिरघोसा	3	घिरघोसा
							4	धोरेवारा
							5	पण्डरिया
							6	लघान
					योग :–			06 ग्राम
			70	मरका	3	मरका	7	मरका
							8	जैतपुरी
							9	हेड़सपुर
					4	गेगड़ा	10	गेगड़ा
							11	डौकाबांधा
							12	देवरी

		योग :–			06 ग्राम
71	धौराबंद	5	धौराबंद	13	धौराबंद
				14	मथानीकला
		6	धनौरा	15	धनौरा
				16	मानपुर
				17	लोचन
		योग :–			05 ग्राम
72	कोयलारी	7	कोयलारी	18	कोयलारी
				19	कोयलारीडीह
		8	कृतबांधा	20	कृतबांधा
				21	मथानीखुर्द
		योग :–			04 ग्राम
73	बानो	9	बानो	22	बानो
				23	कुंआ
		10	तमरूवा	24	तमरूवा
				25	चुचरूंगपुर
		योग :–			04 ग्राम
74	गुढ़ा	11	गुढ़ा	26	गुढ़ा
				27	बोरदेही
		12	सोनपुरी	28	सोनपुरी
				29	भुरकुडा
				30	बोटेपार
				31	नवागांव
		योग :–			06 ग्राम
75	चचेड़ी	13	चचेड़ी	32	चचेड़ी
				33	फांदातोड़
				34	बिटकुलीखुर्द
				35	सिंघनपुरी
		14	बिपतरा	36	बिपतरा
				37	अमलीडीह
				38	ठुनुपार
		योग :–			07 ग्राम
76	केसली	15	केसली	39	केसली
				40	बिटकुलीकला
		16	बीरनपुर	41	बीरनपुर
				42	बिसनपुरा
				43	लिटीपुर
		योग :–			05 ग्राम
77	झलमला	17	झलमला	44	झलमला

					45	गोपालभौना	
			18	खपरी	46	खपरी	
			योग :–			03 ग्राम	
78	इन्दौरी		19	इन्दौरी	47	इन्दौरी	
			20	बहरमुड़ा	48	बहरनुड़ा	
			योग :–			02 ग्राम	
79	कोसमंदा		21	कोसमंदा	49	कोसमंदा	
			22	झिरौनी	50	झिरौनी	
			योग :–			02 ग्राम	
80	पनेका		23	पनेका	51	पनेका	
			24	हीरापुर	52	हीरापुर	
					53	चुचरूंगपुर	
					54	चोरभट्ठी	
			योग :–			04 ग्राम	
81	दशरंगपुर		25	दशरंगपुर	55	दशरंगपुर	
					56	खण्डसरा	
			योग :–			02 ग्राम	
82	पेण्ड्रा		26	पेण्ड्रा	57	पेण्ड्रा	
					58	बाघामुड़ा	
					59	खैरा	
			27	दुधिया	60	दुधिया	
					61	अगरीकला	
					62	बैजी	
					63	ज्ञानपुर	
			योग :–			07 ग्राम	
83	गोरखपुर		28	गोरखपुर	64	गोरखपुर	
					64	सिंघौरी	
					66	रूसे	
			29	कुंआ	67	कुंआ	
					68	करही	
					69	देवदहरा	
			योग :–			06 ग्राम	
84	गैंदपुर		30	गैंदपुर	70	गैंदपुर	
			31	बांधी	71	बांधी	
					72	अमलीडीह	
					73	कौडिया	
					74	पावले	
			योग :–			05 ग्राम	

		85	सेमरिया	32	सेमरिया	75	सेमरिया
						76	खैरझिटी
						77	मुंगेलीडीह
				33	बगदई	78	बगदई
						79	उलट
						80	मोहतरा
					योग :–		06 ग्राम
		86	गोछिया	34	गोछिया	81	गोछिया
						82	हरडुवाडीह
				35	सिंघनपुरी	83	सिंघनपुरी
						84	पेण्ड्रीखुर्द
					योग :–		04 ग्राम
5	कवर्धा	रेंगाखार कला	87	समनापुर	1 समनापुर	1	समनापुर
						2	दरिया
						3	कोकदा
						4	बन्दुककुन्दा उर्फ सिलियारी
					2 बरबसपुर	5	बरबसपुर
						6	नंदिनी
						7	बरेण्डीपानी
						8	कुमान
						9	झारपट (वीरान)
					योग :–		09 ग्राम
			88	बम्हनी	3 बम्हनी	10	बम्हनी
						11	लहबर
						12	अगरी
						13	अड़वार (वनग्राभ)
					4 जामुनपानी	14	जामुनपानी
						15	मुडवाही
						16	बोदलपानी
					योग :–		07 ग्राम
			89	तितरी	5 तितरी	17	तितरी
						18	उमरिया
						19	तितरी प्लाट
						20	अंजना
						21	तरमा (वनग्राम)
					6 रोल	22	रोल
						23	सुगखार (वनग्राम)
						24	सुतिया (वनग्राम)

				25	रोलप्लाट
		योग :–			09 ग्राम
90	रेंगाखारकला	7	रेंगाखारकला	26	रेंगाखारकला
				27	नागवाही (वनग्राम)
		8	सिवनीखुर्द	28	सिवनीखुर्द
				29	बरेंडा
				30	सिवनी उर्फ रामपुर प्लाट
		योग :–			05 ग्राम
91	भेलवाटोला	9	भेलवाटोला	31	भेलवाटोला
				32	आमाखोडरा
		10	सरईपतेरा	33	सरईपतेरा
				34	धामिनडीह
				35	चमारी
		योग :–			05 ग्राम
92	उसरवाही	11	उसरवाही	36	उसरवाही
		12	लोहारीडीह	37	लोहारीडीह
				38	भिमौरी
		योग :–			03 ग्राम
93	खारा	13	खारा	39	खारा
				40	डोंगरिया
		14	पण्डरिया	41	पण्डरिया
				42	नेवासपुर
				43	बहेराखार
				44	मोतिमपुर
				45	नेवासपुर प्लाट
		योग :–			07 ग्राम
94	खम्हरिया	15	खम्हरिया	46	खम्हरिया
				47	मुढ़ीपार
				48	गिधनखार
		16	भोंदा	49	भोंदा
				50	मोहनटोला
				51	जमुनिया
				52	बछरूकोन्हा
				53	गर्रा
				54	करमंदाकला
				55	लावा
				56	तेंदूटोला
		योग :–			11 ग्राम
95	कोयलारझोरी	17	कोयलारझोरी	57	कोयलारझोरी

						58	कुरमा
						59	कन्हारीझोरी
						60	छितपुरीखुर्द
						61	छितपुरीकला
						62	वखारीपानी (वीरान)
				18	पंड्रीपानी	63	पंड्रीपानी
						64	बोल्दा
						65	सौरू
						66	खमरहा
						67	बेरला
						68	घानीखूंटा
						69	परसाही
						70	रानीगुड़ा
				योग :–			14 ग्राम
		96	मिनमिनिया	19	मिनमिनिया	71	मिनमिनिया
						72	बोदलपानी
						73	गंजईडबरी
						74	मालापुरी
						75	घुघवादादर
						76	अकलाआमा विरान
						77	तेलीटोला
						78	छिंदहा विरान
						79	चेलिकआमा विरान
				20	नवागांव	80	नवागांव
						81	सरोधा
						82	घटोला
						83	कंटमीकला
						84	पालक
						85	भनसुला
						86	कंटमीखुर्द
						87	मोहनपुर
						88	जुनवानी
				योग :–			18 ग्राम
6 कवर्धा	स.लोहारा	97	गांगपुर	1	गांगपुर	1	गांगपुर
						2	भठैलाटोला
				2	सिंगारपुर	3	सिंगारपुर
						4	सोनपुर
						5	कौहापानी
				योग :–			05 ग्राम

98	बरौदाकला	3	बरौदाकला	6	बरौदाकला
				7	बरौदाखुर्द
				8	बितली
		4	दैहानडीह	9	दैहानडीह
				10	पडकीपानी
				11	सहसपुर
		योग :—			06 ग्राम
99	बचेडी	5	बचेडी	12	बचेडी
				13	कौहारी
				14	मजगांव
				15	तुमडीलेवा
				16	सलीहा
		6	चंदेनी	17	चंदेनी
				18	गुलालपुर
				19	नवांगांव
		योग :—			08 ग्राम
100	सारी	7	सारी	20	सारी
				21	खडौदा
		8	बीरनपुर कला	22	बीरनपुर कला
				23	तालपुर
		योग :—			04 ग्राम
101	महराटोला	9	महराटोला	24	महराटोला
				25	कुटकीपारा
				26	किनारीटोला
				27	रेलई
				28	सिंघरापारा
		10	छिरबांधा	29	छिरबांधा
				30	कुरलु
				31	इरीबकसा
		योग :—			08 ग्राम
102	बानों	11	बानों	32	बानों
				33	केजादाह
				34	जगमड़वा
		12	छोटूपारा	35	डुमरिया
				36	छोटूपारा
				37	पीपरटोला (बड़े)
				38	बेलहरी
		योग :—			07 ग्राम
103	स. लोहारा	13	स. लोहारा	39	स. लोहारा

		14	बाधाटोला	40	बांधाटोला
				41	भीमपुरी
				42	सोनपुरी
		योग :–			04 ग्राम
104	जरहाटोला	15	जरहाटोला	43	जरहाटोला
				44	आमगांव
				45	धनगांव
				46	जामगांव
		16	राम्हेपुर	47	राम्हेपुर
				48	दलसाटोला
		योग :–			06 ग्राम
105	सिल्हाटी	17	सिल्हाटी	49	सिल्हाटी
		18	बिचारपुर	50	बिचारपुर
				51	तिलाईभाठ
				52	बाम्हनटोला
		योग :–			04 ग्राम
106	कल्यांणपुर	19	कल्याणपुर	53	कल्याणपुर
				54	खजरीकला
		20	बासीनझोरी	55	खजरीखुर्द (वीरान)
				56	बासीनझोरी
				57	लखनपुर
		योग :–			05 ग्राम
107	कुरूवा	21	कुरूवा	58	कुरूवा
				59	अमलीडीह
				60	कामनबोड़
				61	खैरा
		22	भिमौरी	62	भिमौरी
		योग :–			05 ग्राम
108	बामी	23	बामी	63	बामी
				64	पीपरटोला छोटे
				65	बनखैरा
				66	भेंसबोड़
		24	कोयलारी	67	कोयलारी
		योग :–			05 ग्राम
109	सिघंनपुरी	25	सिघंनपुरी	68	सिघंनपुरी
		26	पवनतरा	69	पवनतरा
				70	नवागांव विरान
				71	भादुटोला
		योग :–			04 ग्राम

			110	मोतिनपुर	27	मोतिनपुर	72	मोतिनपुर
							73	कनवाटोला
							74	गीधाटोला (वीरान)
							75	नवागांव
							76	भेंडरा
							77	रानीदहरा
					28	सोनझरी	78	सोनझरी
							79	बिगारभर्री
							80	बोटेसूर
							81	सरईपतेरा
					योग :–			10 ग्राम
			111	धनौरा	29	धनौरा	82	धनौरा
							83	टाटावाही
					30	खोलवा	84	खोलवा
							85	कटोरी
							86	कुम्हारी
							87	रेंदाखाम्ही
							88	चनाटोला (वीरान)
					योग :–			7 ग्राम
			112	पेण्ड्रीतरई	31	सुरजपुरा	89	सुरजपुरा
							90	पिरचाटोला
							91	पेण्ड्रीतराई
					32	बिडौरा	92	बिडौरा
							93	धनगांव
							94	नूनछापर
					योग :–			6 ग्राम
			113	रक्से	33	रक्से	95	रक्से
							96	नरोधी
					34	बबई	97	बबई
							98	भैंसवोड़
					योग :–			4 ग्राम
7	कवर्धा	वीरेन्द्र नगर	114	मोहगांव	1	मोहगांव	1	मोहगांव
							2	खैरबना
							3	बरगांव
							4	बीसाटोला
					2	गगरिया खम्हरिया	5	गगरिया खम्हरिया
							6	कोटराबुंदेली
					योग :–			4 ग्राम

115	लाखाटोला	3	लाखाटोला	7	लाखाटोला
				8	ढोढ़मानवापारा
				9	बरपेलाटोला
		4	बीजाबैरागी	10	बीजाबैरागी
				11	जंगलपुर
				12	भगौताटोला
		योग :–			6 ग्राम
116	सिंगारपुर	5	सिंगारपुर	13	सिंगारपुर
				14	खैरबना
				15	बाजगुढ़ा
				16	दैहानडीह
		6	सुकतरा	17	सुकतरा
				18	भंडारपुर
				19	डोमाटोला
		योग :–			7 ग्राम
117	रणजीतपुर	7	रणजीतपुर	20	रणजीतपुर
				21	मानपुर
		8	सिंघनगढ़	22	सिंघनगढ़
		योग :–			3 ग्राम
118	जमुनिया	9	जमुनिया	23	जमुनिया
				24	डुमरिया
		10	डोंगरिया	25	मजगांव
				26	डोंगरिया
				27	झाडूटोला
		योग :–			5 ग्राम
119	नवघटा	11	नवघटा	28	नवघटा
				29	सबराटोला
				30	पटपर
				31	रैंगाटोला
		12	दरिगंवा	32	दरिगंवा
				33	दारगांव
		योग :–			6 ग्राम
120	उडियाखुर्द	13	उडियाखुर्द	34	उडियाखुर्द
				35	ओड़ियाकला
				36	चिलमखोदरा
		14	कारेसरा	37	कारेसरा
				38	बनिया
				39	धनेलीडीह
				40	गांगीबहरा

				41	बुधवारा
		योग :—			8 ग्राम
121	कुम्हारदनिया	15	कुम्हारदनिया	42	कुम्हारदनिया
				43	रमपुरा
				44	नेवासपुर
		16	दनियाखुर्द	45	दनियाखुर्द
				46	वीरनपुर खुर्द
				47	खपरी
		योग :—			6 ग्राम
122	चारभाठा	17	चारभाठा	48	चारभाठा
		18	हथलेवा	49	हथलेवा
				50	अचानकपुर
				51	साहेबपारा (वीरान)
		योग :—			4 ग्राम
123	धरमगढ	19	धरमगढ	52	धरमगढ
		20	भाटकुंडेरा	53	भाटकुडेरा
				54	ढोरली
				55	खोलवाडीह विरान
		योग :—			4 ग्राम
124	ठाठापुर	21	ठाठापुर उर्फ रामपुर	56	ठाठापुर उर्फ रामपुर
				57	मोहभट्ठा
		22	दानीघटोली	58	दानीघटोली
				59	कड़कड़ा
		योग :—			4 ग्राम
125	सुरजपुरा	23	सुरजपुरा	60	सुरजपुरा
				61	हरदी
		24	कोहड़िया	62	कोहड़िया
				63	भीखमपुर
				64	उसलापुर
		योग :—			5 ग्राम
126	वीरेन्द्रनगर	25	वीरेन्द्रनगर	65	वीरेन्द्रनगर
		26	टाटीकसा	66	टाटीकसा
				67	राजपुर
				68	मोहनपुर
		योग :—			4 ग्राम
127	रणवीरपुर	27	रणवीरपुर	69	रणवीरपुर
		28	कोसमंदा	70	कोसमंदा
				71	मगरवाह
		योग :—			3 ग्राम

			128	पैलपार	29	पैलपार	72	पैलपार
							73	बनिया
							74	गोरखपुरखुर्द
					30	नवांगांव खुर्द	75	नवांगांव खुर्द
							76	रगरा
					योग :-			5 ग्राम
			129	गौरमाटी	32	गौरमाटी	77	गौरमाटी
					32	गौरझुमर	78	गौरझुमर
							79	कोटगांव
					योग :-			3 ग्राम
					कुल योग :-			79 ग्राम
					योग तहसील कवर्धा			725 ग्राम

सोनमणि बोरा,
कलेक्टर.

पटवारी हल्का बंदी की जानकारी तहसील कवर्धा

क्रमांक	राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	प्रस्तावित पटवारी हल्को की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	कुल ग्राम संख्या
1	2	3	4	5
1	बोडला	29	57	191
2	कवर्धा – 1	31	60	154
3	कवर्धा – 2	8	16	31
4	दशरंगपुर	18	35	84
5	रेंगाखारकला	10	20	88
6	सहसपुर लोहारा	17	34	98
7	बीरेन्द्र नगर	16	32	79
	योग :—	129	254	725

सोनमणि बोरा,
कलेक्टर.

तहसील पण्डरिया में दो पंचायतो का एक पटवारी हल्का के आधार पर हल्का पुनर्गठन की सूची निम्नानुसार है

:: सूची ::

क्रं.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का		ग्राम पंचायत		पटवारी हल्का के अन्तर्गत आने वाले ग्राम	
			प.ह.नं.	मुख्यालय का नाम	क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	क्रं.	ग्राम का नाम पंचायतवार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	पण्डरिया	पण्डरिया	1	बदना	1	बंदना	1	बंदना
							2	घोघराखुर्द
							3	मुरगुरापानी
					2	बीरहुलडीह	4	बीरहुलडीह
							5	मजगांव
							6	पंडरीपानी
					योग :–			6 ग्राम
			2	नेउर	3	नेउर	7	नेउर
							8	गहीडबरा
							9	कुसयारी
					4	कांदावानी	10	कांदावानी
							11	रूखमीदादर
							12	घुररी
							13	वांहपानी
					योग :–			7 ग्राम
			3	अमनिया	5	अमनिया	14	अमनिया
							15	बसुलालोट
							16	कोटनापानी
							17	रोजाडीह
							18	भाकुर
					6	सेंदुरखार	19	सेंदुरखार
							20	वांगर
					योग :–			7 ग्राम
			4	पुटपुटा	7	पुटपुटा	21	पुटपुटा
							22	चाटा
					8	छिंदीडीह	23	छिंदीडीह
							24	सारपानी
							25	सरईपानी
					योग :–			5 ग्राम
			5	आगरपानी	9	आगरपानी	26	आगरपानी
							27	वोहिल

		10	भेलकी	28	भेलकी
				29	देवनगटपर
				30	तेलियापानी(धोबे)
				31	अधचरा
		योग :–			6 ग्राम
6	डालामौहा	11	डालामौहा	32	डालामौहा
				33	चियांडांड
				34	भैसाडवरा (वीरान)
		12	तेलियापानी(लेदरा)	35	तेलियापानी(लेदरा)
				36	अजवाइनवार
				37	तीनगड्ड़ा
				38	माराडवरा
		योग :–			7 ग्राम
7	चतरी	13	चतरी	39	चतरी
				40	मंगली
				41	विचारपुर
		14	मझोलीरवन	42	मझोलीरवन
				43	गुढा
		योग :–			7 ग्राम
8	कोदवागोडान	15	कोदवागोडान	44	कोदवागोडान
				45	टकटोइगा
		16	मलकछरा	46	मलकछरा
				47	भोयटोला
		योग :–			4 ग्राम
9	छीरपानी	17	छीरपानी	48	छीरपानी
		18	सरईसेत	49	सरईसेत
				50	सनकपाट
		योग :–			3 ग्राम
10	अमरपुर	19	अमरपुर	51	अमरपुर
				52	मदनपुर
		20	बाघरायटोला	53	बाघरायटोला
				54	निहारपुर
		योग :–			4 ग्राम
11	खैरडोगरी	21	खैरडोगरी	55	खैरडोंगरी
				56	सरैहा
				57	उदका
		22	झिंगराडोगरी	58	झिंगराडोंगरी
				59	बिरेनवार
				60	कुल्हीडोगरी
		योग :–			6 ग्राम
12	कामठी	23	कामठी	61	कामठी
				62	कडमा

					24	माठपुर	63	माठपुर
							64	भडगा
							65	नागाडबरा (वीरान)
					योग :—			6 ग्राम
			13	पोलमी	25	पोलमी	66	पोलमी
					26	भेडागढ	67	भेडागढ
							68	परसेलखार
							69	पण्डरिखार
					योग :—			4 ग्राम
			14	कुकदुर	27	कुकदुर	70	कुकदुर
							71	लखनपुर
					28	दमगढ	72	दमगढ
							73	अमेंरा
					योग :—			4 ग्राम
			15	देवसरा	29	देवसरा	74	देवसरा
							75	रोखनी
					30	खाम्ही	76	खाम्ही
							77	बकेला
							78	सेमरहा
					योग :—			5 ग्राम
			16	खौरझिटी	31	खौरझिटी (पुराना)	79	खौरझिटी
							80	घोघरा कला
							81	करपीगोडान
							82	मूरकी
					32	लिम्हईपुर	83	लिम्हईपुर
							84	बिरनपुर
							85	गौरकांपा
					योग :—			7 ग्राम
			17	कुई	33	कुई	86	कुई
					34	लोखान	87	लोखान
							88	पटौहा
							89	लालपुर
							90	कमराखोल
					योग :—			5 ग्राम
			18	मुनमुना	35	मुनमुना	91	मुनमुना
							92	सगौना
							93	बंदौरा
							94	मरमरा (वीरान)
							95	नवांगांव कपोटी (वीरान)
							96	जामुनपानी
					36	सिंगपुर	97	सिंगपुर
							98	मुनगाडिह

				99	छिरहा
				100	पिपरहा
				101	टिकरवाह
		योग :—			11 ग्राम
19	दुल्लापुर	37	दुल्लापुर	102	दुल्लापुर
				103	भदराली
				104	गौरकापा
				105	बिझौरी
		38	नरसिंहपुर	106	नरसिंहपुर
				107	लालपुर खुर्द
		योग :—			6 ग्राम
20	अमलडीहा	39	अमलडीहा	108	अमलडीहा
		40	भरेवापारा	109	भरेवापारा
				110	करपीकला
		योग :—			3 ग्राम
21	कापादाह	41	कापादाह	111	कापादाह
		42	घुटुरकुंडी	112	घुटुरकुंडी
		योग :—			2 ग्राम
22	बाघामुडा	43	बाघामुडा	113	बाघामुडा
				114	सांवतपुर
		44	डोमनपुर	115	डोमनपुर
				116	दामापुर
		योग :—			4 ग्राम
23	किशुनगढ	45	किशुनगढ	117	किशुनगढ
		46	सगौनाडीह	118	सगौनाडीह
				119	दलपुरवा
				120	बोधीपारा
		योग :—			4 ग्राम
24	सोमनापुर	47	सोमनापुर नया	121	सोमनापुर
				122	दलपी
				123	नवागांव टिकौत
		48	बूचीपारा	124	बूचीपारा
				125	झिरीयाकला
				126	झिरीया खुर्द
				127	साकपारा (वीरान)
				128	पुतकी खुर्द
		योग :—			8 ग्राम
25	रमतला	49	रमतला	129	रमतला
		50	मोहतराखुर्द	130	मोहतराखुर्द
				131	सिमराडवरी
				132	पेण्ड्री खुर्द
		योग :—			4 ग्राम

26	सोनपुरी	51	सोनपुरी	133	सोनपुरी
				134	तेन्दुवाडीह
				135	रेहुटा
				136	सेम्हरकांपा (वीरान)
				137	धुतपुर (वीरान)
		52	पुसेरा	138	पुसेरा
				139	बांधा
		योग :–			7 ग्राम
27	पंडरिया नगर पंचायत	53	पंडरिया	140	पंडरिया
				141	नवांपारा
		योग :–			2 ग्राम
28	पाढी	54	पाढी	142	पाढी
		55	केसली गोढान	143	केसली गोढान
				144	बिरकोना
				145	रहमान कापा
				146	हजारी कांपा (वीरान)
				147	बकबुडा (वीरान)
				148	माथानी (वीरान)
		योग :–			2 ग्राम
29	गांगपुर	56	गांगपुर	149	गांगपुर
				150	पंडरिपथरा
				151	बीजईटोला
				152	मदनपुरखुर्द (वीरान)
				153	भगतपुर
				154	बिनौरी
				155	राम्हेपुर
		57	लाडंगपुर	156	लाडंगपुर
				157	लडुवा
		योग :–			9 ग्राम
30	पाण्डातराई	58	पाण्डातराई	158	पाण्डातराई
		59	चरखुरा	159	चरखुरा
				160	नवांगांव कला
				161	सरई पतेरा कला
		योग :–			4 ग्राम
31	डोगरिया कला	60	डोगरिया कला	162	डोगरिया कला
				163	पुतवी कला
		61	दशरंगपुर	164	दशरंगपुर
				165	चारभाटा खुर्द
		योग :–			4 ग्राम
32	परसवारा	62	परसवारा	166	परसवारा
		63	रोहरा	167	रोहरा
				168	तिशेपरा

							169	चारभाठाकला
					योग :–			4 ग्राम
			33	रौहा	64	रौहा	170	रौहा
							171	मोतिनपुर
							172	कुंवाखुर्द
							173	अलीपुर
							174	सिंगारपुर
							175	सरईपतेरा
					65	मैनपुरा	176	मैनपुरा
							177	देवपुरा
					योग :–			8 ग्राम
			34	मझोली	66	गंझोली	178	गंझोली
					67	कोयलारीकांपा	179	कोयलारीकांपा
							180	मजनूकापा
					योग :–			3 ग्राम
			35	कुम्ही	68	कुम्ही	181	कुम्ही
					69	धोबघट्टी	182	धोबघट्टी
					योग :–			2 ग्राम
			36	खरहट्टा	70	खरहट्टा	183	खरहट्टा
							184	केशलमरा
					71	पडंकीकला	185	पडंकीकला
							186	वैलमुडा
							187	पिपरखुटी
					योग :–			5 ग्राम
			37	नवांगांव हट्हा	72	नवांगांव हट्हा	188	नवांगांव हट्हा
							189	दोमसरा
					73	पौनी	190	पौनी
							191	तिलईभाठ
					योग :–			4 ग्राम
			38	नानापुरी	74	नानापुरी	192	नानापुरी
							193	कोडापुरी
					75	नेउरगांव	194	नेउरगांव
							195	तोरला
					योग :–			4 ग्राम
			39	खैरझिटी	76	खैरझिटी	196	खैरझिटी
							197	प्राणकापा
					77	नरौली	198	नरौली
							199	नवांगांव मुसउ
					योग :–			4 ग्राम
9	पण्डरिया	कुण्डा	40	बघर्रा	1	बघर्रा	1	बघर्रा
							2	भुवालपुर
							3	महका

		2	डबरी	4	डबरी
				5	बीजाभाठा
				6	भैसबोड
		योग :–			6 ग्राम
41	महली	3	महली	7	महली
		4	सुरजपुरा	8	सुरजपुरा
				9	दुल्लापुर
		योग :–			3 ग्राम
42	खम्हरिया	5	खम्हरिया	10	खम्हरिया
				11	गुन्झेटा
				12	अखरा
		6	रेंगाबोड	13	रेंगाबोड
				14	बनियाकुंबा
		योग :–			5 ग्राम
43	बोडतराखुर्द	7	बोडतराखुर्द	15	बोडतराखुर्द
				16	नवांगांव गजरी
				17	खैरवारकला
		8	हथमुडी	18	हथमुडी
				19	केशलीखुर्द
				20	छितापार कला
		योग :–			6 ग्राम
44	जंगलपुर	9	जंगलपुर	21	जंगलपुर
				22	प्रतापपुर
		10	अंधियारखांर	23	अंधियारखांर
				24	लालपुर
		योग :–			4 ग्राम
45	रैतापारा	11	रैतापारा	25	रैतापारा
		12	पलानसरी	26	पलानसरी
		योग :–			2 ग्राम
46	मोंहगांव	13	मोंहगांव	27	मोंहगांव
		14	रूसे	28	रूसे
		योग :–			2 ग्राम
47	सोढा	15	सोढा	29	सोढा
				30	कारीमाटी
		16	मोहतराकला	31	मोहतराकला
		योग :–			3 ग्राम
48	भगतपुर	17	भगतपुर	32	भगतपुर
				33	धनेली
		18	कोलेगांव	34	कोलेगांव
		योग :–			3 ग्राम
49	रांपा	19	रांपा	35	रांपा
				36	पीपरमाटी

		20	पण्ड्रीकला	37	पंण्ड्रीकला
		योग :–			3 ग्राम
50	वसनी	21	घोरपेण्ड्री	38	घोरपेण्ड्री
				39	वसनी
		22	खैलटुकरी	40	खैलटुकरी
				41	सुरजपुराखुर्द
				42	रैंहुटाकला
		योग :–			3 ग्राम
51	कुण्डा	23	कुण्डा	43	कुण्डा
		24	माकरी	44	माकरी
				45	गिरधारीकांपा
				46	दुल्लीपार
		योग :–			4 ग्राम
52	ओढाडवरी	25	ओढाडबरी	47	ओढाडबरी
				48	लोखान
		26	सेनहाभाठा	49	सेनहाभाठा
		योग :–			3 ग्राम
53	देवगढिया	27	देवगढिया	50	देवगढ़िया
				51	ढोलाकांपा
				52	भरेतापुरन
				53	कंवलपुर
				54	खैरातुलसी
		28	सुकलीगोंविद	55	सुकलीगोंविद
				56	रकंटा
				57	बिपतपुर
		योग :–			8 ग्राम
54	दामापुर	29	दामापुर	58	दामापुर
				59	डोगरिया खुर्द
		30	आतरियाखुर्द	60	आतरियाखुर्द
				61	टाटाकरा
				62	धीकुडिया वीरान
		योग :–			5 ग्राम
55	मौहामडवा	31	सेमरकोना	63	सेमरकोना
				64	अमलीमालगी
		32	नीगापुर	65	नीगापुर
				66	नावागांव खगेश
				67	मौहामडवा
		योग :–			5 ग्राम
56	कुवामालगी	33	कंझेटा	68	कंझेटा
		34	कुवांमालगी	69	कुवांमालगी
				70	कंझेटी
				71	पथर्रा

					योग :–			4 ग्राम
				सैयामालगी	35	सोमनापुर	72	सोमनापुर
							73	अंकबरकापा
							74	भटरूसरो
							75	मोतेसरा
					36	सैहामालगी	76	सैहामालगी
					योग :–			5 ग्राम
			58	प्राणखैरा	37	कोयलारी कला	77	कोयलारीकला
							78	आमादाह
							79	बंशापुर
					38	कोदवाकला	80	कोदवाकला
							81	[illegible]
							82	प्राणखैरा
					योग :–			6 ग्राम
			59	जैतपुरी	39	पंवरजली	83	पवंरजली
							84	पंचधार
							85	बहबलिया
					40	पटुआ	86	पटुआ
							87	जैतपुरी
							88	बमईपुर
					योग :–			6 ग्राम

सोनमणि बोरा,
कलेक्टर.

प्रस्तावित पटवारी हल्का बंदी की तहसीलवार जानकारी जिला – कबीरधाम(छ0ग0)

क0	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	वर्तमान में पटवारी हल्का की संख्या	पुर्नगठन से प्रस्तावित हल्का की संख्या	पुर्नगठन पश्चात प्रस्तावित कुल हल्का की संख्या	कुल ग्रामों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बोडला	10	19	29	191
2	कवर्धा–1	13	18	31	154
3	कवर्धा –2	4	4	8	31
4	दशंरगपुर	12	6	18	84
5	रेंगाखारकला	4	6	10	88
6	सहसपुर लोहारा	11	6	17	98
7	बीरेन्द्र नगर	11	5	16	79
	योग कवर्धा तहसील	65	64	129	725
8	पण्डरिया	15	24	39	199
9	कुण्डा	10	10	20	88
	योग पण्डरिया तहसील	25	34	59	287
	जिले का योग	90	98	188	1012

सोनमणि बोरा,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक 135/दो-2-28/2001.—श्री रंगनाथ चंद्राकर, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), अम्बिकापुर, वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 29-03-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-1999 से 31-10-2001 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 30-10-2001 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक 136/दो-2-28/2001.—श्री रंगनाथ चंद्राकर, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 29-03-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2001 से 31-10-2003 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 30-10-2003 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक 137/दो-2-28/2001.—श्री रंगनाथ चंद्राकर, तत्कालीन रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 29-03-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 30-10-2005 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक 138/दो-2-40/2001.—श्री रघुबीर सिंह, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), रायपुर, वर्तमान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 20-11-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-1999 से 31-10-2001 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 01-05-2001 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक 139/दो-2-40/2001.—श्री रघुबीर सिंह, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), अम्बिकापुर, वर्तमान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 20-11-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2001 से 31-10-2003 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 01-05-2003 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक 140/दो-2-40/2001.—श्री रघुबीर सिंह, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर, वर्तमान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 20-11-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 01-09-2005 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक 141/दो-2-4/2000.—श्री ए. एल. निमोणकर, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर), वर्तमान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-1999 से 31-10-2001 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 21-08-2001 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक 142/दो-2-4/2000.—श्री ए. एल. निमोणकर, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़, वर्तमान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2001 से 31-10-2003 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 21-08-2003 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक 143/दो-2-4/2000.—श्री ए. एल. निमोणकर, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 21-08-2005 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

क्रमांक 144/दो-2-4/2005.—श्री सी. बी. बाजपेयी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर, वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी को उनके आवेदन पत्र दिनांक 10-04-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2005 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2007

क्रमांक 145/दो-2-8/2004.—श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर), वर्तमान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मनेन्द्रगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 20-03-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में माह अक्टूबर 2005 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक 149/दो-2-21/2004.—श्री गुलाम मिन्हाजुद्दीन, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर, वर्तमान निदेशक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2005 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2007

क्रमांक 152/दो-2-36/2001.—श्री टी. पी. शर्मा, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दुर्ग, वर्तमान प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2001 से 31-10-2003 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.